रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1553] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 16, 2019/वैशाख 26, 1941
No. 1553] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 16, 2019/VAISAKHA 26, 1941

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मई, 2019

का.आ. 1745(अ).—विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 4 (4) के अनुसार, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, माननीय न्यायमूर्ति श्री जी.एस. सिस्तानी की अध्यक्षता में गठित अधिकरण, जिसको विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 4 (1) के अंतर्गत यह न्याय-निर्णय करने संबंधी मामला भेजा गया था कि मणिपुर के मैतई उग्रवादी संगठनों अर्थात् द पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पी एल ए) तथा इसके राजनैतिक विंग द रिवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट (आर पी एफ), द यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यू एन एल एफ) और इसके सशस्त्र विंग द मणिपुर पीपल्स आर्मी (एम पी ए), द पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांग्लीपाक (पी आर ई पी ए के) तथा इसके सशस्त्र विंग द रेड आर्मी, द कांग्लीपाक कम्युनिस्ट पार्टी (के सी पी) और इसके भी सशस्त्र विंग, द "रेड आर्मी," द कांगली याओल कान्बा लुप (के वाई के एल), को-ऑर्डिनेशन कमेटी (कोरकॉम) तथा एलायंस फॉर सोशिलस्ट यूनिटी कांग्लीपाक (ए एस यू के) को इनके सभी गुटों, विंगों और अग्रणी संगठनों सहित 'विधिविरुद्ध संगम' घोषित करने के पर्याप्त कारण हैं अथवा नहीं, के आदेश को आम जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

[सं. 11011/06/2018-एन.ई.V]
सत्येन्द्र गर्ग, संयुक्त सचिव

माननीय न्यायमूर्ति श्री जी.एस. सिस्तानी, न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली की अध्यक्षता वाले विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण की रिपोर्ट

निम्नलिखित के विषय में :

मणिपुर के निम्नलिखित मैतेई उग्रवादी संगठनों को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उप-धारा (1) के *अंतर्गत "विधिविरुद्ध संगम" घोषित करने से संबंधित दिनांक 13 नवम्बर, 2018 की राजपत्र अधिसूचना संख्या का. आ. 5681 (अ), अर्थात्,*

1. द पीपल्स लिबरेशन आर्मी जिसे सामान्यतया पीएलए के रूप में जाना जाता है तथा इसका राजनैतिक विंग;
2. द रिवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट (आरपीएफ);
3. द यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ) तथा इसका सशस्त्र विंग;

4. मणिपुर पीपल्स आर्मी (एमपीए);

5. द पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांग्लीपाक (पीआरईपीएके) और इसका सशस्त्र विंग, द "रेड आर्मी";

6. द कांग्लीपाक कम्युनिस्ट पार्टी (केसीपी) और इसका सशस्त्र विंग, जिसे "रेड आर्मी" भी कहा जाता है;

7. द कांगली याओल कान्बा लुप (केवाईकेएल);

8. द को-आर्डिनेशन कमिटी (कोरकॉम)-और

9. द एलायन्स फॉर सोशलिस्ट यूनिटी कांग्लीपाक (एएसयूके)।

और

विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण गठित करने से संबंधित दिनांक 24 जनवरी, 2019 की राजपत्र अधिसूचना संख्या का.आ. 384 (अ)

कोरम :

माननीय न्यायमूर्ति श्री जी.एस. सिस्तानी

उपस्थित :

भारत संघ के लिए श्री कीर्तिमान सिंह तथा श्री गौरांग कांत, सीजीएससी, श्री अमन सिंह बख्शी तथा सुश्री कामाक्षी सहगल के साथ सुश्री मनीन्द्र आचार्य, भारत के अपर महान्यायवादी।

मणिपुर राज्य के लिए श्री एल. रोशमणि, अधिवक्ता।

श्री सुधीर सचदेवा, प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) तथा श्री विकास धवन, कोर्ट मास्टर के साथ श्री अरुण कुमार, रजिस्ट्रार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण

मैतेई उग्रवादी संगठनों के लिए कोई भी उपस्थित नहीं।

आदेश

07.05.2019

1. केन्द्र सरकार ने विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (संक्षेप में 'उक्त अधिनियम) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 13 नवम्बर, 2018 की राजपत्र अधिसूचना संख्या का.आ. 5681 (अ) के तहत मणिपुर के उग्रवादी संगठनों अर्थात 1) द पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जिसे सामान्यतया पीएलए के रूप में जाना जाता है तथा इसके राजनैतिक विंग; 2) द रिवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट (आरपीएफ); यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ) तथा इसके सशस्त्र विंग; 4) द मणिपुर पीपल्स आर्मी (एमपीए); 5) द पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांग्लीपाक (पीआरईपीएके) और इसके सशस्त्र विंग, द "रेड आर्मी"; 6) दि कांग्लीपाक कम्युनिस्ट पार्टी (केसीपी) और इसके सशस्त्र विंग, जिसे "रेड आर्मी" भी कहा जाता है;7) द कांग्ली याओल कान्वा लुप (केवाईकेएल); 8) द को-आर्डिनेशन कमिटी (कोरकॉम) और 9) द एलायन्स फॉर सोशलिस्ट यूनिटी कांग्लीपाक (एएसयूके) और साथ ही उनके सभी गुटों, विंगों और अग्रणी संगठनों को 'विधिविरुद्ध संगम' घोषित किया है।

2. उपर्युक्त अधिसूचना में यह उल्लेख किया गया है कि मैतेई उग्रवादी संगठन का लक्ष्य और उद्देश्य भारत से मणिपुर राज्य को अलग करके एक स्वतंत्र मणिपुर गठित करने का है और उन्होंने-

   (i) भारत से मणिपुर राज्य को अलग करके एक स्वतंत्र मणिपुर गठित करने के अपने उद्देश्यों की खुलकर घोषणा की है;

   (ii) उपर्युक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सशस्त्र साधनों का उपयोग कर रहे हैं और उनमें लिप्त हैं;

   (iii) मणिपुर में सुरक्षा बलों, पुलिस, सरकारी कर्मचारियों तथा कानून का पालन करने वाले नागरिकों पर हमला कर रहे हैं;

   (iv) अपने संगठन के लिए निधियों का संग्रह करने हेतु सिविलियन लोगों को डराने, उनसे जबरन धन वसूल करने तथा उनको लूटने के कृत्यों में लिप्त रहे हैं;

(v) अपने अलगाववादी उद्देश्यों को प्राप्त करने के प्रयोजन हेतु हथियारों और प्रशिक्षण के माध्यम से जनमत को प्रभावित करने एवं उनकी सहायता प्राप्त करने हेतु विदेशी स्रोतों के साथ संपर्क करते रहे हैं; और

(vi) आश्रयों, प्रशिक्षण और हथियारों और गोलाबारूद का गुप्त रूप से प्रापण करने के प्रयोजन हेतु पड़ोसी देशों में शिविरों का रखरखाव कर रहे हैं।

3. उपर्युक्त अधिसूचना में यह भी उल्लेख किया गया है कि मैतेई उग्रवादी संगठनों के विधिविरुद्ध और हिंसक क्रियाकलापों में निम्नलिखित शामिल हैं –

(i) दिनांक 01 जनवरी, 2013 से 31 जुलाई, 2018 तक पिछले पांच वर्षों में 756 हिंसक घटनाओं में संलिप्तता; और

(ii) दिनांक 01 जनवरी, 2013 से 31 जुलाई, 2018 तक 86 व्यक्तियों (35 सुरक्षा बल कार्मिकों सहित) की हत्या।

4. यह भी उल्लेख किया जाता है कि उपर्युक्त कारणों से केन्द्र सरकार की यह राय है कि मैतेई उग्रवादी संगठनों के क्रियाकलाप भारत की संप्रभुता और अखण्डता के लिए हानिकारक हैं तथा वे विधिविरुद्ध संगम हैं। आगे यह भी उल्लेख किया जाता है कि केन्द्र सरकार की यह भी राय है कि यदि मैतेई उग्रवादी संगठनों के विधिविरुद्ध क्रियाकलापों पर तुरंत काबू नहीं पाया जाता है और उनको नियंत्रित नहीं किया जाता है, तो उनको निम्नलिखित का अवसर प्राप्त हो जाएगा –

(i) अपने अलगाववादी, विघटनकारी, आतंकवादी और हिंसक कार्यकलापों का विस्तार करने के लिए अपने काडरों को एकजुट करना;

(ii) भारत की संप्रभुता और अखण्डता के शत्रुवत बलों की मिलीभगत से राष्ट्र विरोधी क्रियाकलापों का प्रसार करना;

(iii) सिविलियनों की हत्या करना और पुलिस एवं सुरक्षा बल कार्मिकों को निशाना बनाने के कार्य में लिप्त होना;

(iv) अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार से अवैध हथियारों और गोलाबारूदों का प्रापण करना और उन्हें शामिल करना;

(v) अपने विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के लिए जनता से बड़ी मात्रा में निधियों की जबरन वसूली करना और उसका संग्रह करना।

5. और यत: केन्द्र सरकार की यह राय है कि मैतेई उग्रवादी संगठनों के उपर्युक्त क्रियाकलापों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि मैतेई उग्रवादी संगठनों और साथ ही उनके सभी गुटों, विंगों और अग्रणी संगठनों को तत्काल प्रभाव से 'विधिविरुद्ध संगम' घोषित किया जाए और तदनुसार, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने निदेश दिया कि उक्त अधिसूचना उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन दिए गए किसी आदेश के अध्यधीन शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख अर्थात 13 नवम्बर, 2018 से लागू होगी।

6. उसके बाद, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने यह न्याय-निर्णयन करने के प्रयोजन के लिए दिनांक 24 जनवरी, 2019 की राजपत्र अधिसूचना संख्या का.आ. 384 (अ) के तहत इस अधिकरण का गठन किया कि क्या मणिपुर के मैतेई उग्रवादी संगठनों और साथ ही उनके सभी गुटों, विंगों और अग्रणी संगठनों को 'विधिविरुद्ध संगम' घोषित करने का पर्याप्त कारण मौजूद है या नहीं।

7. इस अधिकरण को उक्त अधिनियम की धारा 4(1) के अनुसार उपर्युक्त संदर्भ प्राप्त होने के बाद, इस मामले की प्रारंभिक सुनवाई दिनांक 30 जनवरी, 2019 को किया जाना निर्धारित किया गया, जब इस अधिकरण ने केन्द्र सरकार द्वारा रिकॉर्ड पर प्रस्तुत की गई सामग्री के विचार के उपरांत मणिपुर के मैतेई उग्रवादी संगठनों को उक्त अधिनियम की धारा 4(2) के अंतर्गत नोटिस जारी किया कि वे इस बारे में 30 दिनों के भीतर यह बताएं कि उनको विधिविरुद्ध संगम क्यों न घोषित किया जाए। इस नोटिस को निम्नलिखित तरीके से तामील किए जाने का निदेश दिया गया :

(i) मणिपुर के उग्रवादी संगठनों और साथ ही उनके सभी गुटों, विंगों और अग्रणी संगठनों के अंतिम ज्ञात पते और उनके प्रधान पदाधिकारियों के पते पर स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड ए/डी द्वारा।

(ii) आज से तीन सप्ताह के भीतर दो राष्ट्रीय समाचार-पत्रों (अखिल भारतीय अंक), एक अंग्रेजी में और एक हिंदी में तथा राज्यों, जहां मैतेई उग्रवादी संगठनों के क्रियाकलाप सामान्यतया होते हैं, में व्यापक परिचालन वाले दो स्थानीय समाचार-पत्रों में स्थानीय भाषा में, दिनांक 13 नवम्बर, 2018 की राजपत्र अधिसूचना की प्रति के साथ प्रकाशन द्वारा।

(iii) मणिपुर के मैतेई उग्रवादी संगठनों और साथ ही उनके सभी गुटों, विंगों और अग्रणी संगठनों और उनके प्रधान पदाधिकारियों के अंतिम ज्ञात पते पर दिनांक 13 नवम्बर, 2018 की राजपत्र अधिसूचना की प्रति के साथ नोटिस को चिपकाकर।

(iv) ऐसे सभी राज्यों, जहां संगठनों के क्रियाकलाप सामान्यतया किए जाते थे या किए जाते हैं, में नोटिस तथा दिनांक 13 नवम्बर, 2018 की अधिसूचना की विषय-वस्तु के बारे में ड्रम बजाकर और लाउडस्पीकर द्वारा उद्घोषणा द्वारा।

(v) राज्यों, जहां संगठनों के क्रियाकलाप सामान्यतया किए जाते थे या किए जाते हैं, के सभी जिला मुख्यालयों में उपायुक्त/जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार के नोटिस बोर्ड पर दिनांक 13 नवम्बर, 2018 की राजपत्र अधिसूचना की प्रति सहित नोटिस को प्रदर्शित करके।

(vi) यह नोटिस मुख्य सचिव के माध्यम से मणिपुर राज्य को भी तामील किया जाए।

(vii) नोटिस तथा दिनांक 13 नवम्बर, 2018 की राजपत्र अधिसूचना को राज्य के आकाशवाणी/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी प्राइम टाइम पर घोषित किया जाए तथा राज्यों, जहां संगठनों के क्रियाकलाप सामान्यतया किए जाते थे या किए जाते हैं, में प्रमुख स्थानों पर भी चिपकाया जाए।

8. अधिकरण ने दिनांक 30 जनवरी, 2019 के आदेश के तहत अपने रजिस्ट्रार को भी यह आदेश दिया कि वह नोटिस तामील किए जाने के अनुपालन की जांच करें और उसे सुनिश्चित करें और साथ ही सुनवाई की अगली तारीख अर्थात 05 मार्च, 2019 से पहले इस संबंध में स्वतंत्र रिपोर्ट दाखिल करें। तथापि, दिनांक 05 मार्च, 2019 को माननीय न्यायमूर्ति वाल्मिकी जे. मेहता की दु:खद मृत्यु के शोक में फुल कोर्ट रेफरेंस के कारण अधिकरण की कार्यवाहियां नहीं हो सकीं और कार्यवाहियां स्थगित करके इनके लिए दिनांक 06 मार्च, 2019 की तिथि निर्धारित की गई। भारत संघ तथा मणिपुर राज्य की ओर से तामील का हलफनामा दाखिल किया गया जिनमें इस अधिकरण द्वारा जारी किए गए नोटिस को तामील किए जाने हेतु उठाए गए कदमों की पुष्टि की गई। नोटिस तामील किए जाने के संबंध में इस अधिकरण के रजिस्ट्रार की दिनांक 27 फरवरी, 2019 की रिपोर्ट भी दाखिल की गई।

9. रिकॉर्ड पर प्रस्तुत की गई सामग्री तथा इस अधिकरण के रजिस्ट्रार की रिपोर्ट के अवलोकन के उपरांत, अधिकरण इस बात से संतुष्ट था कि मणिपुर के मैतेई उग्रवादी संगठनों, उनके गुटों, विंगों तथा अग्रणी संगठनों और उनके प्रधान पदाधिकारियों को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) नियमावली, 1968 (संक्षेप में 'उक्त नियमावली') के नियम 6 के अंतर्गत यथा-निर्धारित तथा 30 जनवरी, 2019 के आदेश में निहित इस अधिकरण के निदेशों के अनुसार सम्यक रूप से नोटिस तामील किया गया था।

10. जैसा कि ऊपर कहा गया है, नोटिस तामील करने और इस अिधकरण द्वारा अवसर दिए जाने के बावजूद, मणिपुर के मैतेई उग्रवादी संगठनों की ओर से न तो कोई आपत्ति/उत्तर/लिखित बयान दायर किया गया और न ही उनकी ओर से कोई पेश हुआ। इस प्रकार, उन्होंने इस अधिकरण द्वारा की गई कार्यवाहियों में हिस्सा नहीं लिया और दिनांक 06 मार्च, 2019 के आदेश के तहत आगे एकतरफा जांच करने का आदेश दिया गया था।

11. तथापि, चूंकि इस अधिकरण का यह मत था कि इस मामले में जांच होनी चाहिए ताकि केवल केन्द्र सरकार और राज्य सरकार को अपने कथनों, आरोपों और प्रस्तुत किए गए आधारों के समर्थन में अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने का मौका दिया जाए बल्कि मणिपुर के मैतेई उग्रवादी संगठनों को भी केन्द्र/राज्य सरकारों की सामग्री का खंडन करने का मौका दिया जाए, इसलिए, दिनांक 06 मार्च, 2019 के आदेश के द्वारा भारत संघ की ओर से पेश होने वाले विद्वान अपर सॉलीसिटर जनरल और मणिपुर राज्य की ओर से पेश होने वाले विद्वान काउंसल की सहमति से शिलांग में की जाने वाली आगे की कार्यवाही के लिए 4 और 5 अप्रैल, 2019 की तारीखें तय की गई थीं और मामले को 12 मार्च, 2019 को निदेशों के लिए रखा गया था।

12. शिलांग में 04 अप्रैल, 2019 को हुई इस अधिकरण की कार्यवाही के दौरान, पी डब्ल्यू-1 (अर्थात सुश्री अनुपम, एसडीपीओ-लाम्फेल, इम्फाल, पश्चिमी जिला, मणिपुर), पी डब्ल्यू-2 (अर्थात श्री बिनॉय चोंगथम, एसडीपीओ-मोरेह, तेंगनोपाल जिला, मणिपुर) तथा पी डब्ल्यू-3 (अर्थात श्री शंकरजीत लोइतोंगबाम, एसडीपीओ-पोरोम्पट, इम्फाल पूर्वी जिला, मणिपुर) का साक्ष्य दर्ज किया गया; जबकि 05 अप्रैल, 2019 को पी डब्ल्यू-4 (अर्थात श्री अथोकपाम रोमेन्द्रो सिंह, एसडीपीओ-सिंगजामेई, इम्फाल, पश्चिमी जिला, मणिपुर) का आंशिक साक्ष्य दर्ज किया गया।

13. इसके बाद, इस मामले पर गंगटोक, सिक्किम में 26 और 27 अप्रैल, 2019 को पुन: विचार किया गया। ये तारीखें शेष साक्ष्य दर्ज करने के लिए पहले से ही निर्धारित की गई थीं।

14. दिनांक 26 अप्रैल, 2019 को पी डब्ल्यू-4 अर्थात श्री अथोकपाम रोमेन्द्रो सिंह, एसडीपीओ सिंगजामेई, इम्फाल, पश्चिमी जिला, मणिपुर; पी डब्ल्यू-5 अर्थात डॉ. टीएच. चरणजीत सिंह, उप सचिव (गृह), मणिपुर सरकार, इम्फाल और पी डब्ल्यू-6 अर्थात श्री आर.के. पाण्डेय, उप सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार का और आगे बयान दर्ज किया गया तथा मामले को 27 अप्रैल, 2019 को गंगटोक में पेश किया गया। तत्पश्चात, मामले को नई दिल्ली में आगे की कार्रवाई के लिए 01 मई, 2019 तक स्थगित कर दिया गया।

15. इस स्तर पर, मैं यह नोटिस करता हूं कि मणिपुर तथा भारत संघ के केवल उन गवाहों से शपथ के आधार पर पूछताछ की गई थी, जिन्होंने साक्ष्य के तौर पर अपने शपथ-पत्र दायर किए थे और उनके बयानात संबंधित तारीख (खों) को दर्ज किए गए थे। इसके अतिरिक्त, उनसे पूछताछ के दौरान, सभी गवाहों ने यह स्वीकार किया था कि उनके संबंधित शपथ-पत्र (शपथ-पत्रों) पर उनके ही हस्ताक्षर हैं और उन्होंने अपने साक्ष्य के भाग के रूप में उसमें उल्लिखित सभी प्रदर्शों तथा चिह्नित दस्तावेजों के साथ अपने-अपने शपथ–पत्र प्रस्तुत किए।

16. अवसर दिए जाने के बावजूद, मणिपुर के मैतेई उग्रवादी संगठनों की ओर से इस अधिकरण के समक्ष भारत संघ और मणिपुर राज्य के पूर्वोक्त गवाहों के साथ जिरह के लिए कोई भी पेश नहीं हुआ। तदनुसार, गवाहों को जाने की अनुमति दी गई। इस तथ्य को देखते हुए कि मणिपुर के मैतेई उग्रवादी संगठनों की ओर से न तो इस अधिकरण को अथवा न ही इसके रजिस्ट्रार को कोई अभ्यावेदन, पत्र अथवा कोई अन्य दस्तावेज प्राप्त हुआ है, साक्ष्य प्रक्रिया 27 अप्रैल, 2019 को पूरी कर ली गई और इस मामले में नई दिल्ली में आगे की कार्यवाही के लिए 01.05.2019 की तारीख निर्धारित की गई थी।

17. मैने भारत संघ की ओर से सुश्री मनीन्द्र आचार्य, विद्वान अपर सॉलीसिटर जनरल; श्री कीर्तिमान सिंह और श्री गौरांग कांत, केन्द्र सरकार के स्थायी काउंसल तथा मणिपुर राज्य की ओर से पेश हुए श्री एल. रोशमणि केएच., विद्वान काउंसल को सुना। मणिपुर राज्य की मौजूदा स्थिति को देखते हुए और रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री तथा साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत शपथ–पत्रों पर निर्भर करते हुए, यह निवेदन किया गया कि केन्द्र सरकार द्वारा मणिपुर के मैतेई उग्रवादी संगठनों को विधिविरुद्ध संगम घोषित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 3(1) अधीन केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई दिनांक 13 नवम्बर, 2018 की अधिसूचना संख्या का.आ. 5681 (अ) की पुष्टि की जाए

18. मैंने रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री, मणिपुर राज्य तथा भारत संघ के द्वारा और उनकी ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों का भी अध्ययन किया है। मैंने संगत अवधि के दौरान, मणिपुर के मैतेई उग्रवादी संगठनों तथा उनके गुटों, विंगों तथा अग्रणी संगठनों की निरंतर चल रही गैर-कानूनी गतिविधियों के संबंध में विभिन्न आसूचना एजेंसियों एवं केन्द्रीय बलों से प्राप्त रिपोर्टों का भी अवलोकन किया है, जो केन्द्र सरकार द्वारा इस अधिकरण को एक अलग मोहरबंद लिफाफे में दी गई थीं। उक्त मोहरबंद लिफाफे के दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद, उन्हें श्री आर.के. पाण्डेय, उप सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार को लौटा दिया गया था।

<u>मणिपुर राज्य की ओर से</u>

क्र.सं.	गवाह का नाम	शपथ-पत्र का ब्यौरा
1.	सुश्री अनुपम, उप मंडलीय पुलिस अधिकारी, लाम्फेल, इम्फाल, पश्चिमी जिला, मणिपुर (पी डब्ल्यू-।)	(i) प्रदर्श पी डब्ल्यू-1/1 दिनांक 04/04/2019
2.	श्री बिनॉय चोंगथम, एसडीपीओ, मोरेह, तेंगनोपॉल जिला, मणिपुर (पी डब्ल्यू-2)	(ii) प्रदर्श पी डब्ल्यू-2/1 दिनांक 04/04/2019
3.	श्री शंकरजीत लोइटोंगबाम, एसडीपीओ, पोरोम्पट, इम्फाल पूर्वी जिला, मणिपुर (पी डब्ल्यू-3)	(iii) प्रदर्श पी डब्ल्यू-3/1 दिनांक 04/04/2019
4.	श्री अथोकपम रोमेन्द्रो सिंह, एसडीपीओ, सिंगजेमी, इम्फाल पश्चिमी जिला, मणिपुर (पीडब्ल्यू-4)	(iv) प्रदर्श पी डब्ल्यू-4/1 दिनांक 05/04/2019 (शिलांग में प्रदर्शित) (v) प्रदर्श पी डब्ल्यू-4/1ए दिनांक 05/04/2019 (गंगटोक में प्रदर्शित)

19. पी डब्ल्यू-1 (नामत: सुश्री अनुपम, एसडीपीओ- लाम्फेल, इम्फाल पश्चिमी जिला, मणिपुर) ने 03 प्राथमिकियां (एफआईआर) अर्थात पी डब्ल्यू 1/2 , पी डब्ल्यू-1/11 तथा पी डब्ल्यू 1/16 प्रदर्शित कीं।

1) दिनांक 27 मई, 2016 की पहली एफआईआर सं. 98 (5) 2016 में यह उल्लेख किया गया था कि 26 मई, 2016 को लगभग 09.30 बजे अपराह्न, उन्हें विश्वस्त सूत्र से खुराई लैरिकेंगबाम माखा लेकाई स्थित एक मकान में पीआरईपीएके (प्रो) संगठन के एक सक्रिय सदस्य की मौजूदगी के बारे में 45 एआर द्वारा साझा की गई जानकारी प्राप्त हुई थी, जो बम फेंकने और निजी व्यावसायिक केन्द्रों, दुकानों आदि में आईईडी प्लांट करने जैसी अहितकर गतिविधियों को अंजाम देने जा रहा था। इस खुफिया जानकारी पर कार्रवाई करते हुए, लैरिकेंगबाम माखा के नौरोईबाम जोयशंकर सिंह के घर पर अचानक छापा (रेड) मारा गया। नौरोईबाम जोयशंकर सिंह पुत्र एन. (ओ) शांता देवी, लैरिकेंगबाम माखा लेकाई के घर और इसके परिसर की तलाशी के दौरान, सर्च-टीम को एक आई ई डी पाइप बम मिला, जिसे घर के दक्षिण-पूर्वी दिशा में जलाने की लकड़ी के ढेर में छिपाकर रखा गया था। आगे तलाशी करने पर जोयशंकर के कमरे से आठ काले रंग की

बैटरियां, एक सफेद रंग की बैटरी, पांच ई डब्ल्यू मार्क की बैटरियां, एक पैनासोनिक बैटरी, दो स्टील बाल बियरिंग के पैकेट, एक सफेद रंग का रिमोट कंट्रोल, एक काले रंग का बैटरी केस, एक सर्किट बोर्ड, तीन मीटर लंबा काले और लाल रंग का तार प्राप्त हुआ। जोयशंकर की मां एन. शांता देवी से पूछताछ करने पर, उन्होंने यह खुलासा किया कि बरामद किया गया उपर्युक्त विस्फोटक सामान उसके पुत्र जोयशंकर ने लाकर एसेम्बल किया था और अब वह अपने एक सहयोगी से मिलने कोन्ता अहलूप माखा लेकाई स्थित वहेंगबाम रामानन्द सिंह के घर पर गया है। जोयशंकर की मां की निशानदेही पर सीडीओ इम्फाल वेस्ट की एक संयुक्त टीम, जिसमें सच्चिदानंद सोयबाम एमपीएस की अगुवाई में इंस्पेक्टर पी. संजोय सिंह, ओ सी सीडीओ-आईडब्ल्यू, सी डी ओ- आई डब्ल्यू के उप पुलिस अधीक्षक तथा कैप्टन जी. सतीश कुमार की अगुवाई में 45 असम राइफल्स के एस्स-चिंगमेरियन सीओबी शामिल थे, ने ऑस्कर 80-इम्फाल पूर्वी पुलिस कंट्रोल रूम को सूचित करने के उपरांत टीएच. श्री विक्रमजीत सिह एमपीएस, अपर पुलिस अधीक्षक (ऑप.) इम्फाल पश्चिमी के पर्यवेक्षण में तत्काल कोन्ता अहलूप माखा लेकाई के लिए रवाना हो गई और सुबह 3.30 बजे के आसपास वहेंगबाम रामानन्द सिंह के घर पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान, दो अज्ञात युवकों को उनकी संदिग्ध प्रकृति के कारण घर में ही निरुद्ध किया गया जिन्होंने अपनी पहचान नैरोईबाम जोयशंकर सिंह और बहेंगबाम रामानन्द सिंह के रूप में बताई। पूछताछ करने पर, जोयशंकर ने खुलासा किया कि वह पीआरईपीएके (प्रो) संगठन का एक प्रशिक्षित काडर है। वह इस संगठन में वर्ष 2009 में शामिल हुआ था और उसे आर्मी नं. 39914 प्राप्त हुआ था और अब पीआरईपीएके (प्रो) संगठन के स्वयंभू चेयरमैन पालिबा की कमान के तहत कार्य कर रहा है। इस प्रकार, 45 असम राइफल्स द्वारा दिनांक 26 मई, 2016 को की गई शिकायत/रिपोर्ट के आधार पर उसी दिन उप निरीक्षक लाकुन्द्रो खैदून द्वारा विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 20/38, आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-ग), विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा-5 के तहत एफआईआर सं. 98 (5) 2016 पीआरटी-पीएस पंजीकृत की गई। प्रश्नगत मामले के जांच अधिकारी, पी डब्ल्यू-1 द्वारा अभिपुष्ट शपथ-पत्र को प्रदर्श, पी डब्ल्यू -1/1 के रूप में प्रदर्शित किया गया है और शपथ-पत्र के साथ इस अधिकरण में प्रस्तुत की गई, उक्त एफआईआर की प्रतियों, रिपोर्ट तथा उक्त मामले से संबद्ध 7 जब्ती मेमो को क्रमश: प्रदर्श पी डब्ल्यू-1/2, प्रदर्श पी डब्ल्यू-1/3 तथा प्रदर्श पी डब्ल्यू-1/4 से प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-1/10 तक के रूप में प्रदर्शित किया गया है।

2) विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 17/20 के तहत पंजीकृत दिनांक 22.09.2018 की द्वितीय एफआईआर सं. 169 (9) 2018 (प्रदर्श पी डब्ल्यू-1/11) में यह उल्लेख किया गया था कि दिनांक 22.09.2018 को पूर्वाह्न लगभग 10.30 बजे उन्हें आरपीएफ/पीएलए संगठन के कुछ सक्रिय कार्यकर्ताओं की मौजूदगी के बारे में एक विशिष्ट सूचना मिली थी, जो अहितकर गतिविधियों को अंजाम देने के विचार से क्वाकीथल इलाके के सामान्य क्षेत्र के आसपास इधर-उधर घूम रहे थे। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए, सी डी ओ इम्फाल पश्चिमी की टीमें उक्त इलाके की ओर रवाना हो गईं तथा इलाके को घेर लिया और क्वाकीथल थियम लेकाई में तलाशी अभियान शुरू कर दिया। (एल) नरेंगबाम जुगेश्वर सिंह के घर पर इस अभियान के दौरान, घर के अन्दर एक अज्ञात व्यक्ति बहुत ही संदिग्ध अवस्था में पाया गया था। मौके पर उसकी तलाशी करने पर, उसके कब्जे से दो मोबाइल हैंडसेट बरामद हुए।

घटनास्थल पर सत्यापन करने पर, उसने अपनी पहचान नारेंगबाम रतन कुमार उर्फ प्रियो के रूप में बतायी और पूछताछ करने पर, उसने खुलासा किया कि वह आरपीएफ/पीएलए संगठन का एक सक्रिय कार्यकर्ता है और स्वयंभू फाइनेंस चीफ नोंग्पोकनगन्बा की कमान के तहत कार्य करता है। इसके अतिरिक्त, उसने बताया कि वह वर्ष 2012 में उक्त संगठन में शामिल हुआ था और स्वीकार किया कि अपने कमांडर स्वयंभू फाइनेंस चीफ नोंग्पोकनगन्बा के कहने पर उसने सरकारी कर्मचारियों और सामान्य जनता से भारी मात्रा में धन एकत्रित किया था। उसने आगे बताया कि वह अपने कमाण्डर को एकत्रित किया हुआ पैसा सुपुर्द करने और आगे अनुदेश प्राप्त करने के लिए अक्सर मोरेह जाता है। इसलिए, उसे पूर्वाह्न 11.45 बजे सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद घटनास्थल पर ही गिरफ्तार कर लिया गया था।

गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की निशानदेही पर, उसके घर से एक गुलाबी रंग का 'वेस्पा' जिसका रजिस्ट्रेशन नम्बर एमएन 01यू-2341 था, जब्त किया गया, जिसे उनके संगठन के लिए धन एकत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस प्रकार, दिनांक 22 सितम्बर, 2018 की शिकायत/रिपोर्ट के आधार पर, निरीक्षक चन्द्रकुमार सिंह द्वारा उसी दिन विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 17/20 के अंतर्गत एफआईआर सं. 169(9) 2018 पंजीकृत की गई थी। प्रश्नगत मामले के जांच अधिकारी पी डब्ल्यू-1 द्वारा अभिपुष्ट शपथ-पत्र को प्रदर्श पी.डब्ल्यू.-1/1 के रूप में प्रदर्शित किया गया है और उक्त शपथ-पत्र के साथ इस अधिकरण में प्रस्तुत की गई एफआईआर, रिपोर्ट, 1 जब्ती मेमो और उक्त मामले से संबद्ध 2 पुन: जब्ती मेमोरी को क्रमश: प्रदर्श पी डब्ल्यू-1/11, प्रदर्श पी डब्ल्यू 1/12, प्रदर्श पी डब्ल्यू 1/13 तथा प्रदर्श पी डब्ल्यू1/14- प्रदर्श पी डब्ल्यू-1/15 के रूप में प्रदर्शित किया गया है।

3) विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 17/20 और आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-ग)) के अंतर्गत पंजीकृत 26 नवम्बर, 2015 की तृतीय एफ आई आर सं. 431 (11) 2015 में यह कहा गया था कि 26 नवम्बर, 2015

को प्रात: 8.45 बजे के लगभग उन्हें 40 असम राइफल्स से एक विश्वस्त सूचना मिली, जिसे असम राइफल्स की स्वयं की आसूचना से पुष्ट किया गया था, जो टेकिएल खोंगबल मोइरंगथोंग के आसपास घाटी आधारित गुट केसीपी (एमसी) के कुछ सक्रिय सदस्यों की मौजूदगी के बारे में थी। उप निरीक्षक, एम. उत्तम सिंह के नेतृत्व में सीडीओ/आईई की एक टीम, सीडीओ/आईई से संबद्ध प्रथम एमआर के जेसी नं. 752 जेम.एन. बोबो सिंह की सहायता से, उस इलाके के लिए रवाना हो गई और एक तलाशी अभियान शुरू किया गया। अभियान के एक भाग के रूप में, मोइरंगथोंग, टेकिएल खोंगबल के दक्षिण दिशा की तरफ मोबाइल फ्रिस्किंग और चेकिंग शुरू की गई। इस प्रक्रिया में एक संदिग्ध व्यक्ति को तुरंत उसकी तलाशी और सत्यापन के लिए निरूद्ध किया गया था। निरूद्ध किए गए व्यक्ति की तलाशी लेने पर उसके पास से दो जिंदा राउंड के साथ लोडेड मैगजीन सहित एक 9 मि.मी. की पिस्टल, एक एअरटेल सिम कार्ड के साथ एक मोबाइल फोन तथा स्वयंभू फाइनेंस सेक्रेटरी, के सी पी (एम सी) नामत: यैखोम्बा अंगोम द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित के सी पी (एमसी) के तीन मांग पत्र पाए और बरामद किए गए। घटनास्थल पर सत्यापन करने पर, निरूद्ध किए गए व्यक्ति ने अपनी पहचान वहेन्गबैम सोमेन्द्रो सिंह उर्फ बॉबी के रूप में बताई, जो कांग्लीपाक कम्युनिस्ट पार्टी (मिलीटरी काउंसिल) संक्षिप्त में केसीपी (एम सी) गुट का एक सक्रिय सदस्य है और जो वर्ष 2013 में टैखेल के एकेन के माध्यम से इसमें शामिल हुआ था। उसने आगे बताया कि वह उक्त एकेन की कमान के तहत कार्य कर रहा था तथा आम जनता से भारी मात्रा में जबरन धन की वसूली की थी। उसे घटनास्थल अर्थात मोइरंगथोंग के दक्षिणी छोर से गिरफ्तार किया गया था तथा उसके कब्जे से दो जिंदा राउंड के साथ लोडेड मैगजीन सहित 'यू एस ए' मार्क की एक 9 एमएम पिस्टल, एक मोबाइल फोन (नोकिया-100) के साथ एक एयरटेल सिम कार्ड और केसीपी (एम सी) के 03 मांग-पत्र जब्त किए गए।

इस प्रकार, दिनांक 26 नवम्बर, 2015 की शिकायत/रिपोर्ट के आधार पर, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 17/20 एवं आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-ग) के अंतर्गत उसी दिन एफ आई आर सं. 431 (11) 2015 पंजीकृत की गई थी। प्रश्नगत मामले के जांच अधिकारी पी डब्ल्यू-1 द्वारा अभिपुष्ट शपथ-पत्र, प्रदर्श पी डब्ल्यू-1/1 के रूप में प्रदर्शित किया गया है तथा उक्त शपथ-पत्र के साथ इस अधिकरण में प्रस्तुत उक्त एफ आई आर, रिपोर्ट की प्रतियां, उक्त मामले से संबद्ध 01 जब्ती मेमो को क्रमश: प्रदर्श पी डब्ल्यू-1/16, प्रदर्श पी डब्ल्यू-1/17 तथा प्रदर्श पी डब्ल्यू-1/18 के रूप में प्रदर्शित किया गया है।

20. पी डब्ल्यू-2 (नामत: श्री बिनॉय चोंगथम, एसडीपीओ –मोरेह, टेंग्नोपाल जिला, मणिपुर) ने 03 एफआईआर अर्थात पी डब्ल्यू-2/2, पी डब्ल्यू-2/6 और पी डब्ल्यू-2/10 प्रदर्शित कीं।

1) 14 जनवरी, 2015 को भारतीय दंड संहिता की धारा 121/121-क/324/326/307/34, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 15/20 और आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-ग) के अंतर्गत पंजीकृत की गई प्रथम एफ आई आर सं. 1(1) 2015 में दिनांक 16.01.2015 के स्थानीय समाचार पत्र "इम्फाल फ्री प्रेस" के अंग्रेजी संस्करण में छपी रिपोर्टों के अनुसार यह नोट किया गया था कि दिनांक 14.01.2015 को 11.30 बजे रात में माची पोस्ट में अवस्थित 20 असम राइफल्स पर सुरक्षा बलों को मारने/घायल करने और विधिसम्मत स्थापित भारत/मणिपुर सरकार को उखाड़ फेंकने के इरादे से आधुनिक हथियारों/शस्त्रों का इस्तेमाल करके संदिग्ध पीएलए उग्रवादियों/ आतंकवादियों द्वारा घात लगाकर हमला किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, असम राइफल्स के दो कार्मिकों को चोटें आयीं। इसलिए, जांच के प्रयोजन से इस मामले में स्वत: संज्ञान लेकर एक मामला पंजीकृत करने पर विचार किया गया। प्रश्नगत मामले के जांच अधिकारी पी डब्ल्यू- 2 द्वारा अभिपुष्ट शपथ-पत्र को प्रदर्श पी डब्ल्यू-2/1 के रूप में प्रदर्शित किया गया है तथा इस अधिकरण में प्रस्तुत उक्त एफआईआर की सत्यापित प्रतियां, रिपोर्ट तथा उक्त मामले से संबद्ध 02 जब्ती मेमो को क्रमश: प्रदर्श पी डब्ल्यू 2/2, प्रदर्श पी डब्ल्यू 2/3 और प्रदर्श पी डब्ल्यू -2/4-2/5 के रूप में प्रदर्शित किया गया है।

2) मोरेह पुलिस स्टेशन में दिनांक 28/05/2018 को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत दर्ज दूसरी एफआईआर सं. 40(5)2018 एमआरएच-पीएस में क्ष. शान्तिकुमार सिंह द्वारा यह बताया गया था कि उन्हें दोपहर लगभग 02.50 बजे सनराइज ग्राउंड, वार्ड नं.4, मोरेह में और उसके आस-पास प्रतिबंधित संगठन यूनाइटेड नेशनल लिब्रेशन फ्रंट (यू.एन.एल.एफ.) के एक दुर्दांत काडर की आवाजाही के संबंध में विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई। सीडीओ/मोरेह की एक टीम ने तुरंत उस क्षेत्र की तलाशी और छानबीन की। उस क्षेत्र की तलाशी और छानबीन के दौरान उनकी टीम ने एक अज्ञात युवक को संदिग्ध अवस्था में तलाशी क्षेत्र के आसपास घूमते हुए देखा। टीम को देखकर, उस अज्ञात युवक ने भागने का प्रयास किया, लेकिन उसे जांच पड़ताल के लिए काबू कर लिया गया। मौके पर सत्यापन करने पर, उसने अपनी पहचान प्रतिबंधित यूनाइटेड नेशनल लिब्रेशन फ्रंट (यू.एन.एल.एफ.) संगठन के स्वयंभू कैप्टन के रैंक के एक सक्रिय कार्यकर्ता हायोरोंगबम रंणजीत उर्फ लूम्बा के रूप में बताई। इसके अतिरिक्त, उसने बताया कि वह एक स्वयंभू मेजर चौअबा (सीएस) के माध्यम से मार्च, 1996 में इस प्रतिबंधित संगठन में शामिल हुआ था तथा उसने पूर्वी नागालैंड

में डेढ़ माह का बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त किया था और उसे 12वें बैच की आर्मी सं. 561 आबंटित की गई थी। उसने आगे बताया कि प्रशिक्षण के बाद वह 2 (दो) वर्ष तक पूर्वी नागालैंड में रहा। वर्ष 1998 से 2000 के बीच वह संगठन के इंटेलिजेंस विंग में कुम्बी में रहा, जहां वह यू.एन.एल.एफ. की साजित तम्पक बटालियन की सहायता करता था। वर्ष 2001 और 2005 के बीच वह यूएनएलएफ के साजिक तम्पक कैम्प में था। वर्ष 2006 और 2007 के बीच वह बराक घाटी के बोरो बेकरा क्षेत्र में सक्रिय था। वहां से वह साजित तम्पक में दोबारा लौट आया तथा 2004 तक वही रहा। वर्ष 2014 के अंत में वह म्यांमार में ओंगिया में 41वीं बटालियन में चला गया। वर्ष 2017 में, उसने नागा रिवोल्यूशनरी फ्रंट (एनआरएफ) के सीओ के तौर पर भी कार्य किया। वर्तमान में वह थोंगरेन में यू.एन.एल.एफ. के जीएचक्यू में तैनात था। इसलिए उसे मौके पर लगभग सायं 3.30 बजे औपचारिकताएं पूरी करने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से एक सफेद रंग का मोबाइल हैंडसेट, जिस पर "एमपीटी" अंकित था और वोडाफोन के दो सिमकार्ड तथा एमपीटी बरामद किया गया। प्रश्नगत मामले के जांच अधिकारी द्वारा अभिपुष्ट शपथ-पत्र को प्रदर्श पीडब्ल्यू-2/1 के रूप में प्रदर्शित किया गया है तथा उक्त मामले के संबंध में इस ट्रिब्यूनल को प्रस्तुत की गई एफआईआर, रिपोर्ट, जब्ती मेमो तथा पुनःजब्ती मेमो की सत्यापित प्रतियों को क्रमश: प्रदर्श पीडब्ल्यू-2/6, प्रदर्श पीडब्ल्यू-2/7, प्रदर्श पीडब्ल्यू-2/8 तथा प्रदर्श पीडब्ल्यू-2/9 के रूप में प्रदर्शित किया गया है।

3) विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत दिनांक 02/12/2018 को दर्ज तीसरी एफआईआर सं.79(12)2018 एमआरएच-पीएस में, इंस्पेक्टर एन. जतीश्वर सिंह ने बताया था कि प्रात: लगभग 9.30 बजे उन्हें नांगपोक पंथोबी मंदिर, मोरेह में और उसके आसपास प्रतिबंधित संगठन केवाईकेएल के दुर्दांत कार्यकर्ताओं की आवाजाही के संबंध में विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई। सीडीओ/मोरेह की एक टीम ने तुरंत इस क्षेत्र की तलाशी तथा छानबीन की। उस क्षेत्र की तलाशी और छानबीन के दौरान उनकी टीम ने एक अज्ञात युवक को संदिग्ध अवस्था में तलाशी क्षेत्र के आसपास घूमते हुए देखा। टीम को देखकर, उस अज्ञात युवक ने भागने का प्रयास किया लेकिन वह उसे सत्यापन के लिए काबू करने में सफल हो गए। मौके पर किए गए सत्यापन के दौरान, उसने अपनी पहचान लौंगजैम काला उर्फ सोमन के रूप में बताई। वह आर्मी नंबर 33 में सार्जेंट मेजर के पद पर था। वह इस संगठन में जून, 2002 में शामिल हुआ था और उसने नोने जिले में केवाईकेएल के खोउपुम कैंप में लगभग 3 महीने का बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त किया था। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद, उसे चंदेल में तैनात किया गया था। चंदेल से वह म्यांमार में केवाईकेएल के तानन कैंप बटालियन में चला गया, जहां वह दो वर्ष तक तैनात रहा। तत्पश्चात अगले सात वर्ष तक वह पूर्वी नागालैंड में तैनात रहा। उसने बताया कि वह इस संगठन में वार्ड नंबर 7 मोरेह के संगठन के एक ओवरग्राऊंड कार्यकर्ता थंगजैम इनाओ के माध्यम से शामिल हुआ था। इसलिए उसे मौके पर प्रात: लगभग 10.30 बजे सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। प्रश्नगत मामले के जांचकर्त्ता अधिकारी पीडब्ल्यू-2 द्वारा अभिपुष्ट शपथ पत्र को प्रदर्श पीडब्ल्यू-2/1 के रूप में प्रदर्शित किया गया है तथा ट्रिब्यूनल को प्रस्तुत की गई उक्त एफआईआर तथा रिपोर्ट की सत्यापित प्रतियां क्रमश: प्रदर्श पीडब्ल्यू-2/10 तथा प्रदर्श पीडब्ल्यू-2/11 के रूप में प्रदर्शित की गई हैं।

21. पीडब्ल्यू-3 (श्री शंकरजीत लोयटोंगबाम, एसडीपीओ-पोरोम्पट, जिला पूर्वी इम्फाल, मणिपुर) ने पीडब्ल्यू-3/2, पीडब्ल्यू-3/8 तथा पीडब्ल्यू-3/14 के रूप में 3 एफआईआर प्रदर्शित कीं।

1) विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 20, आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-ख) तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत दिनांक 22 फरवरी, 2016 को दर्ज पहली एफआईआर सं. 40(2) 016 पीआरटी-पीएस में यह उल्लेख किया गया था कि दोपहर लगभग 12.20 बजे, हत्ता मिनुथोंग क्षेत्र में आम जनता से धन की जबरन वसूली जैसी अहितकर गतिविधियों को अंजाम देने के लिए प्रतिबंधित संगठन यूनाइटेड नेशनल लिब्रेशन फ्रंट (यूएनएलएफ) के एक सक्रिय कार्यकर्ता की मौजूदगी के बारे में सूचना प्राप्त हुई थी। तदनुसार, एक टीम उक्त क्षेत्र में खोज अभियान के लिए पहुंची। खोज अभियान के दौरान, एक संदिग्ध व्यक्ति को हत्ता मिनुथोंग में सत्यापन के लिए निरूद्ध कर लिया गया। मौके पर उसकी पहचान संबंधी सत्यापन के दौरान, निरूद्ध किए गए व्यक्ति ने अपनी पहचान थोकचोम बरेंडी मीतेई उर्फ लेरेन उर्फ अथोउबा के रूप में बताई। सत्यापन के दौरान, उसने बताया कि वह यूएनएलएफ संगठन का सक्रिय कार्यकर्ता है; वह यूएनएलएफ के एक स्वयंभू लेफ्टीनेंट अपाबी के माध्यम से जनवरी 2007 में इस संगठन में शामिल हुआ था तथा उसने यूएनएलएफ संगठन के 33वें बैच के आर्मी सं.2330 के अंतर्गत उसी वर्ष फरवरी से अप्रैल तक मेवतित, म्यांमार में बुनियादी मिलिट्री प्रशिक्षण प्राप्त किया था। उसने आगे बताया कि वह उक्त यूएनएलएफ संगठन के स्वयंभू निदेशक, वित्त विभाग श्री मुनाल की कमान के अधीन कार्य कर रहा था। अत: उसे मौके से अर्थात मिनुथोंग के पूर्वी हिस्से से दोपहर 1.30 बजे गिरफ्तार कर लिया गया तथा दो मोबाइल फोन, एयरटेल तथा वोडाफोन के एक-एक सिम कार्ड के साथ एक सैमसंग ड्योज और रिलांयस तथा एयरटेल के एक-एक सिम कार्ड के साथ लेमॉन जीसी 359 जब्त कर लिए गए। पूछताछ करने पर, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति ने बताया कि उसने लंगथाबल कुंजा में एक बढ़ई घर में एक

छोटा हथियार, गोलाबारूद तथा 6 हैंड ग्रेनेड छिपा रखे हैं। उस बढ़ई घर की तलाशी ली गई तथा एक काली पॉलीथीन में (i) 1 (एक) .38 पिस्तौल तथा 8 जिंदा राउंड से लैस एक मैगजीन, (ii) 7 जिंदा राउंड से लैस 01 (एक) मैगजीन, (iii) 4 (चार) चीनी हैंड ग्रेनेड, जिन्हें टिन के 4 फिश के डिब्बों में रखा गया था, (iv) 2 (दो) 36 एचई हैंड ग्रेनेड तथा (v) 10 (दस) डेटोनेटर, जिन्हें सफेद पॉलीथीन में रखा गया था, को बढ़ई घर की छत के अन्दर से बरामद किया गया। उसके पास से एक मोबाइल फोन के साथ इन बरामद वस्तुओं को जब्त कर लिया गया। प्रश्नगत मामले के जांचकर्त्ता अधिकारी पीडब्ल्यू-3 द्वारा अभिपुष्ट शपथ पत्र को प्रदर्श पीडब्ल्यू-3/1 के रूप में प्रदर्शित किया गया है तथा उक्त मामले के संबंध में इस ट्रिब्यूनल को प्रस्तुत की गई उक्त एफआईआर, रिपोर्ट, 2 जब्ती मेमो तथा 2 पुन: जब्ती मेमो की सत्यापित प्रतियों को क्रमश: प्रदर्श पीडब्ल्यू-3/2, प्रदर्श पीडब्ल्यू-3/3, प्रदर्श पीडब्ल्यू-3/4, प्रदर्श पीडब्ल्यू-3/5 तथा प्रदर्श पीडब्ल्यू-3/6-3/7 के रूप में प्रदर्शित किया गया है।

2) विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 17/20, आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-ग) तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 5 के तहत दिनांक 07 फरवरी, 2018 को दर्ज दूसरी एफआईआर संख्या 9(02) 2018 आईबीजी-पीएस में यह उल्लेख किया गया था कि शाम को लगभग 4:30 बजे गुप्त स्रोतों से लांगडुंग माखा लेकाई तथा उसके आसपास घाटी आधारित संगठन के कुछ सक्रिय सदस्यों की उपस्थिति के संबंध में विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई। उक्त विश्वसनीय सूचना पर कार्रवाई करते हुए, सीडीओ/आईई की एक टीम उक्त स्थान पर पहुंची तथा उन्होंने खोज अभियान प्रारंभ कर दिया। इसमें लांगडुम हाई-स्कूल के सामने से पूछताछ के लिए एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। मौके पर किए गए सत्यापन से, पकड़े गए व्यक्ति की पहचान कांग्लीपाक कम्युनिस्ट पार्टी (पीपुल्स वार ग्रुप) संगठन के एक सक्रिय सदस्य नन्देबम सरतजोय सिंह उर्फ संजय के रूप में की गई जिसने उक्त संगठन के एक अन्य सक्रिय सदस्य श्री वाहेंगबम जॉन उर्फ थोई के माध्यम से वर्ष 2015 में संगठन की सदस्यता ग्रहण की थी और वह उसकी कमान में कार्य कर रहा था। इस प्रकार उसे मौके से अर्थात लांगडुंग माखा लेकाई से एयरटेल सिम कार्ड वाले एक मोबाइल फोन (सैमसंग) के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। और अधिक पूछताछ किए जाने पर, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति ने यह बताया कि उसने अपने निवास स्थल पर एक पिस्तौल और अवांग खुनोऊ, इम्फाल पश्चिमी जिले में एक बम छिपा रखा है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा किए गए रहस्योद्घाटन तथा उसके बताए जाने पर दो राउंड लोडेड मैगजीन के साथ 9 एमएम की एक पिस्तौल उसके निवास स्थान से बरामद की गई। इसके पश्चात, गिरफ्तार किए व्यक्ति को अवांग खुनोऊ ले जाया गया और उसके बताए गए अनुसार लगभग 5 किलोग्राम वजन का एक आईईडी, लगभग 1 मीटर लंबा तार तथा एक मोडिफाइड मोबाइल फोन जिसका प्रयोग ट्रिगर के रूप में किया जा सकता था तथा मिट्टी के नीचे छिपा कर रखा गया एक डेटोनेटर एक काले रंग के पॉलिथिन बैग में चेन ऑफ फ्रीडम फाउंडेशन री-हैबिलिटेशन सेंटर, अवांग खुनोऊ, इंफाल पश्चिमी जिले के पिछले अहाते से बरामद किया गया। उक्त मदों को जब्त कर लिया गया। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति ने यह भी बताया कि बरामद की गई उक्त मदें उसे दिनांक 04.02.2018 को किसी अज्ञात व्यक्ति के माध्यम से श्री जॉन उर्फ थोई द्वारा सौंपी गई थीं और उसे बरामद किए गए आईईडी को यथाशीघ्र लिटिल फ्लावर स्कूल में लगा देने का निर्देश दिया गया था। उसने यह भी बताया कि उक्त श्री जॉन उर्फ थोई के अनुदेश पर उसने हाल ही में 24,000/- रुपए की धनराशि एकत्रित की थी जिसे स्टैंडर्ड रॉबर्ट इंग्लिश स्कूल के सामने कांचीपुर से के.एम. ब्लूमिंग स्कूल, खांगाबोक से फिरौती के रूप में प्राप्त किया गया था।प्रश्नगत मामले के जांच अधिकारी पीडब्ल्यू-3 द्वारा अभिपुष्ट शपथ-पत्र को प्रदर्श पीडब्ल्यू-3/1 के रूप में प्रदर्शित किया गया है तथा उक्त मामले से संबंधित ट्रिब्यूनल के समक्ष प्रस्तुत की गई उक्त एफआईआर, रिपोर्ट, 3 जब्ती मेमो तथा 1 पुन: जब्ती मेमो की सत्यापित प्रतियाँ क्रमश: प्रदर्श पीडब्ल्यू-3/8, प्रदर्श पीडब्ल्यू-3/9, प्रदर्श पीडब्ल्यू-3/10, प्रदर्श पीडब्ल्यू-3/11, प्रदर्श पीडब्ल्यू-3/12 और प्रदर्श पीडब्ल्यू-3/13 के रूप मे प्रदर्शित की गई हैं।

3) विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 20 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 5 के तहत दिनांक 14 नवंबर, 2018 को दर्ज तीसरी एफआईआर संख्या 57(11) 2018 आईबीजी-पीएस में यह उल्लेख किया गया था कि शाम को लगभग 06:45 बजे उनके स्रोत से एक विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई कि प्रीपाक (प्रो) के कुछ सक्रिय सदस्य आईईडी/बम लगाने तथा किसी उपयुक्त समय पर सुरक्षा बलों पर हमला करने जैसी अपनी अहितकर गतिविधियों को अंजाम देने के लिए केईराव अवांग लेईकेई क्षेत्र तथा उसके आसपास घूम रहे हैं। सीडीओ/आईई यूनिट की एक टीम तैयार करके उस क्षेत्र में भेजी गई। उक्त क्षेत्र में पहुंचने के पश्चात, उस क्षेत्र की घेराबंदी कर दी गई और एक संदिग्ध घर में छानबीन की गई। खोज अभियान के दौरान, केईराव अवांग लेइकेई के किसी निंगथोऊजाम देबन सिंह के निवास स्थान से एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। मौके पर किए गए सत्यापन में उस व्यक्ति ने स्वयं को निंगथोऊजाम यांबा उर्फ सानयांबा बताया और मौके पर उसकी तलाशी लेने पर उसके पास से एयरटेल सिम कार्ड वाला एक मोबाइल फोन (सैमसंग) और एयरटेल सिम कार्ड वाला एक अन्य मोबाइल फोन (सैमसंग), भारतीय सेना का संख्या ई060787 वाला

एक पहचान-पत्र बरामद किया गया। पूछताछ पर उसने बताया कि वह एएससी (एटी) पहाड़पुर, गया, बिहार में भारतीय सेना में है और उसे पहले भी दो बार, वर्ष 2017 में एक बार तथा पुन: हाल ही में लगभग दो माह पूर्व महिलाओं के प्रति अपराधों के संबंध में गिरफ्तार किया गया था। जेल में रहने के दौरान, उसकी मुलाकात किसी मांगदेंगबाम शामू सिंह से हुई जो प्रीपाक (प्रो) का एक काडर था। उसकी गिरफ्तारी तथा जेल से उसकी रिहाई के पश्चात यांबा सिंह शामू के घर गया तथा उसने शामू से यह अनुरोध किया कि वह भूमिगत संगठन को ज्वाइन करने में यांबा की मदद करे। इसके पश्चात दोनों म्यांमार स्थित तामू गए तथा उन्होंने प्रीपाक (प्रो) के इरेई से मुलाकात की। जबकि शामू इम्फाल चला गया और यांबा म्यांमार में ही रुका और उसने इरेई के नेतृत्व में प्रीपाक (प्रो) के काडरों से आईईडी तैयार करने का प्रशिक्षण प्राप्त किया। वह दिनांक 11 नवंबर, 2018 को एक आईईडी के साथ वापस आया और दिनांक 12 नवम्बर, 2018 को शामू के घर पर स्वयं उसने और शामू ने उस आईईडी को एसेंबल किया और उसे शामू के घर पर रख दिया। इसके अलावा, उसने यह भी बताया कि उसने अपने मोबाइल से प्रीपाक (प्रो) के किसी स्वयंभू सेकेंड लेफ्टिनेंट इरेई से बातचीत की जिसने उसे उक्त आईईडी को सुरक्षा बलों पर हमला करने के लिए फेईडिंगा क्षेत्र में लगाए जाने का निर्देश दिया। इस प्रकार उसे रात्रि 09:20 बजे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया तथा रात्रि 09:30 बजे उक्त मदें उसके पास से बरामद करके जब्त कर ली गईं। उसके कहने पर, पुलिस की टीम शामू के घर गई और उसे एयरटेल तथा वोडाफोन के दो अलग-अलग सिम कार्डों सहित एक मोबाइल हैंडसेट के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। शामू से पूछताछ करने पर, उसने बताया कि उसने एसेंबल किया गया एक आईईडी, जिसे उसने तथा यांबा ने एसेंबल किया था, अपने कॉमन रूम के फ्रंट लेफ्ट कॉर्नर में छिपा रखा है। उसने यह भी बताया कि वह प्रीपाक (प्रो) के किसी स्वयंभू सेकेंड लेफ्टिनेंट इरेई के नेतृत्व में कार्य कर रहा था। इसके पश्चात आस-पास के गांव के लोगों को वहां से निकाल कर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया तथा दल के सदस्यों द्वारा उस क्षेत्र की अत्यंत रणनीतिक रूप से घेराबंदी कर दी गई। बम निरोधी दस्ते ने उक्त आईईडी को निष्क्रिय कर दिया तथा बैटरी सहित एक रिमोट कंट्रोल, लगभग 186 ग्राम वजन वाला एक सी-4 टीएनटी, एक डेटोनेटर, एक ड्यूलक्स का 1 लीटर का इनेमल पेंट का डिब्बा जिसमें लोहे की कील तथा लोहे के पेंच भरे हुए थे और एक बैटरी वाले सर्किट के साथ आईईडी के विभिन्न पुर्जों को जब्त कर लिया। प्रश्नगत मामले के जांच अधिकारी पीडब्ल्यू-3 द्वारा अभिपुष्ट शपथ-पत्र को प्रदर्श पीडब्ल्यू-3/1 के रूप में प्रदर्शित किया गया है तथा उक्त मामले से संबंधित इस अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गई उक्त एफआईआर, रिपोर्ट, 3 जब्ती मेमो तथा 1 पुन:जब्ती मेमो की सत्यापित प्रतियाँ क्रमश: प्रदर्श पीडब्ल्यू-3/14, प्रदर्श पीडब्ल्यू-3/15, प्रदर्श पीडब्ल्यू-3/16, प्रदर्श पीडब्ल्यू-3/17, प्रदर्श पीडब्ल्यू-3/18, प्रदर्श पीडब्ल्यू-3/19 तथा प्रदर्श पीडब्ल्यू-3/20 के रूप मे प्रदर्शित की गई हैं।

22. पीडब्ल्यू-4 (नामत: श्री अथोकपम रोमेंद्रो सिंह, एसडीपीओ-सिंहजमेई, इम्फाल पश्चिमी जिला, मणिपुर) से शिलांग तथा गंगटोक में पूछताछ की गई। उसने तीन एफआईआर पीडब्ल्यू-4/2, पीडब्ल्यू-4/7 तथा पीडब्लयू-4/16 प्रदर्शित कीं।

1) विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 17/20 और आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-ग) के अंतर्गत दिनांक 11.02.2018 की प्रथम एफआईआर संख्या 38(2) 2018 एसजेएम पीएस में यह उल्लेख किया गया था कि अपराह्न लगभग 12:20 बजे कांचीपुर और उसके आस-पास के क्षेत्र में आम जनता, व्यवसायियों आदि से धन की जबरन वसूली जैसे अहितकर गतिविधियों को अंजाम देने के लिए केवाईकेएल संगठन के कुछ सक्रिय काडरों के मौजूद होने के बारे में विशिष्ट सूचना प्राप्त हुई और इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए सीडीओ/आईडब्ल्यू और 6ठीं असम राइफल्स की संयुक्त टीम उक्त क्षेत्र में पहुंची और स्टैंडर्ड रॉबर्ट स्कूल के निकट कांचीपुर में तलाशी और जांच की। ऐसा करते समय दो अज्ञात व्यक्ति बड़े ही संदिग्ध तरीके से तलाशी क्षेत्र की ओर आ रहे थे। अत:, संदेह होने पर, उन्हें मौके पर जांच और पहचान के लिए रोका गया। मौके पर उनकी तलाशी लेने पर उनके पास से दो पिस्तौल, एक मोबाइल फोन और दो पहचान-पत्र बरामद किए गए। मौके पर जांच के दौरान, उन्होंने अपनी पहचान पुखरामबम रूपा उर्फ किरन और खारीबन संजोय उर्फ नाओचा उर्फ भीम के रूप में बताई। पुखरामबम रूपा उर्फ किरन से पूछताछ करने पर, उसने खुलासा किया कि वह केवाईकेएल संगठन के स्वयंभू वाइस चेयरमैन इबो की कमान के तहत कार्य करने वाले केवाईकेएल संगठन का सक्रिय काडर है और उसने मोइरांग के केवाईकेएल के भर्तीकर्ता बीरजीत के माध्यम से वर्ष 2006 में उक्त संगठन ज्वाइन किया था। उसने यह भी बताया कि उसने तनाल, म्यांमार में 24वें बैच के आर्मी संख्या 407 के अधीन बेसिक मिलिट्री की ट्रेनिंग ली थी और केवाईकेएल संगठन में कॉरपोरल के रैंक पर है। खारीबाम संजोय उर्फ नाओचा उर्फ भीम से पूछताछ करने उसने बताया कि वह केवाईकेएल संगठन के स्वयंभू वाइस चेयरमैन इबो की कमान के तहत कार्यरत केवाईकेएल संगठन का एक सक्रिय सदस्य है और उसने केवाईकेएल के किसी संता के माध्यम से वर्ष 2007 में उक्त संगठन ज्वाइन किया था और उसने 25वें बैच की आर्मी संख्या 571 के अंतर्गत तनाल, म्यांमार में वर्ष 2007 में बेसिक ट्रेनिंग पूरी की थी और वह केवाईकेएल संगठन में कॉरपोरल के रैंक में है। अत:, उन्हें मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। बरामद वस्तुएं, एक बेरेटा पिस्तौल, जिस पर मेड इन यू.एस.ए. का निशान था और जिसके साथ मेड इन यू.एस.ए. के मार्क वाली

एक मैगजीन थी, 9 एमएम गोलाबारूद के 4(चार) जिंदा राउंड, म्यांमार का एक आईडी कार्ड, जिस पर जेड 506094 नंबर अंकित था और एक लेमन मोबाइल हैंडसेट जिसका मॉडल नंबर बी 159 था और जिसमें एक एमपीटी सिम कार्ड था, पुखारामबम रूपा उर्फ किरन के कब्जे से लेकर जब्त कर ली गई और खारीबाम संजाय उर्फ नाओचा उर्फ भीम के कब्जे से 5020 मार्क की एक मैगजीन सहित एक एम-20 पिस्तौल, एम-20 पिस्तौल के बोलाबारूद के 2(दो) जिंदा राउंड और म्यांमार का एक आईडी कार्ड जिसका नंबर जेड 064079 था, को दोपहर 01:25 बजे जब्त कर लिया गया। प्रश्नगत मामले के जांच अधिकारी पीडब्ल्यू-4 द्वारा अभिपुष्ट शपथ-पत्र को प्रदर्श पीडब्ल्यू-4/1 के रूप में प्रदर्शित किया गया है तथा उक्त मामले से संबंधित ट्रिब्यूनल के समक्ष प्रस्तुत की गई उक्त एफआईआर, रिपोर्ट, 2 जब्ती मेमो तथा 1 पुन: जब्ती मेमो की सत्यापित प्रतियाँ क्रमश: प्रदर्श पीडब्ल्यू-4/2, प्रदर्श पीडब्ल्यू-4/3, प्रदर्श पीडब्ल्यू-4/4, प्रदर्श पीडब्ल्यू-4/5, तथा प्रदर्श पीडब्ल्यू-4/6 के रूप मे प्रदर्शित की गई हैं।

2) आईपीसी की धारा 307/506/427/34 और विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 20, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत दिनांक 13 अगस्त, 2017 की दूसरी एफआईआर संख्या 252(8) 2017 एसजेएम पीएस में, यह उल्लेख किया गया था कि लगभग प्रात: 09:40 बजे एनएच-2 की सड़क के किनारे नाओरेम लेइकाई लाईरेंबी के सामने नाओरेम लेइकाई में स्थित इलेक्ट्रिक ट्रांसफॉर्मर के नजदीक एक आईईडी विस्फोट हुआ जो आम जनता के साथ-साथ सुरक्षा बलों को मारने तथा संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से गैर-कानूनी संगठन का कुछ सदस्य होने के संदिग्ध अज्ञात लोगों द्वारा लगाया गया था। । तथापि कोई हताहत नहीं हुआ, किंतु घटनास्थल के पास स्थित इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर की वायरिंग वॉल तथा प्रतीक्षालय की सीआई शीट की छत आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गई। अत:, मामले में स्वयं के संज्ञान से एक एफआईआर दर्ज की गई। प्रश्नगत मामले के जांच अधिकारी पी डब्ल्यू-4 द्वारा अभिपुष्ट शपथ-पत्र प्रदर्श पी डब्ल्यू 4/1 के रूप में प्रदर्शित किया गया है और इस अधिकरण के समक्ष यथा प्रस्तुत उक्त एफआईआर की सत्यापित प्रतियां, रिपोर्ट, उक्त मामले से संबंधित 5 जब्ती मेमो तथा एक पुन: जब्ती मेमो को क्रमश: प्रदर्श पी डब्ल्यू 4/7, प्रदर्श पी डब्ल्यू-4/8, प्रदर्श पी डब्ल्यू-4/9, प्रदर्श पी डब्ल्यू-4/10, प्रदर्श पी डब्ल्यू-4/11, प्रदर्श पी डब्ल्यू-4/12, प्रदर्श पी डब्ल्यू-4/13 तथा प्रदर्श पी डब्ल्यू-4/14 के रूप में प्रदर्शित किया गया है।

3) भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 तथा आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-ग) के तहत दिनांक 20.11.2017 की तीसरी एफआईआर सं. 341(11) 2017 एसजेएम पीएस में, यह उल्लेख किया गया था कि 07.35 बजे सायं को इस आशय की एक सूचना प्राप्त हुई कि लगभग शाम 7.00 बजे 49 वर्ष के आसपास की उम्र के गैर-मणिपुरी अज्ञात व्यक्ति की लैशराम डैनी मैतेई के गेट पर कुछ अज्ञात हथियारबंद व्यक्तियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अज्ञात अपराधी अपराध करने के पश्चात अज्ञात दिशा में भाग गए। अत:, इस मामले में स्वयं के संज्ञान से एफआईआर दर्ज की गई। प्रश्नगत मामले के जांच अधिकारी, पी डब्ल्यू-4 द्वारा अभिपुष्ट अतिरिक्त शपथ-पत्र को प्रदर्श पी डब्ल्यू-4/1ए के रूप में प्रदर्शित किया गया है तथा इस अधिकरण के समक्ष यथा प्रस्तुत उक्त एफआईआर की सत्यापित प्रतियां, रिपोर्ट, उक्त मामले से संबंधित जब्ती मेमो तथा पुन: जब्ती मेमो को क्रमश: प्रदर्श पी डब्ल्यू-4/15, प्रदर्श पी डब्ल्यू-4/18, प्रदर्श पी डब्ल्यू-4/16 तथा प्रदर्श पी डब्ल्यू-4/17 के रूप में प्रदर्शित किया गया है।

4) पी डब्ल्यू-4 दिनांक 26.04.2019 को गंगटोक में अधिकरण के समक्ष उपस्थित थे। उन्होंने रिकार्ड में दर्ज करने के लिए अतिरिक्त शपथ-पत्र प्रस्तुत करने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने अनुरोध किया कि इसे उनके पिछले शपथ-पत्र प्रदर्श पी डब्ल्यू-4/1 के क्रम में पढ़ा जाए। इसे रिकार्ड में दर्ज कर लिया गया। अतिरिक्त शपथ-पत्र को प्रदर्श पी डब्ल्यू-4/1ए के रूप में प्रदर्शित किया गया। इस आशय का उनका आगे का बयान भी अलग से रिकार्ड किया गया। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/34 तथा आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-ग) के तहत दिनांक 20.11.2017 की तीसरी एफआईआर सं. 341 (11) 2017 एसजेएम पी एस मूल रूप में इस तारीख को अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गई।

श्री टीएच. चरणजीत सिंह,उप सचिव (गृह), मणिपुर सरकार का साक्ष्य

23. मणिपुर राज्य की ओर से साक्ष्य के रूप में दिनांक 24 अप्रैल, 2019 को मणिपुर राज्य के विद्वान काउंसल द्वारा बेहतर और व्यापक शपथ-पत्र रिकार्ड में दर्ज कराने की अनुमति के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया गया। याचना स्वीकार कर ली गई और बेहतर तथा व्यापक शपथ-पत्र रिकार्ड में दर्ज कराने की अनुमति प्रदान की गई। इसे रिकार्ड में दर्ज कर लिया गया। दिनांक 2 मार्च, 2019 का पिछला शपथ-पत्र वापस कर दिया गया, जैसा कि याचना की गई थी।

24. पी डब्ल्यू-5 [नामत: श्री टीएच. चरणजीत सिंह, उप सचिव (गृह), मणिपुर सरकार] ने साक्ष्य में अपना शपथ-पत्र, प्रदर्श पी डब्ल्यू-5/1 प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने यह बयान दिया है कि मणिपुर राज्य 1970 से विद्रोह की समस्या का सामना कर रहा है। घाटी आधारित सभी विद्रोही समूह अथवा मैतेई उग्रवादी संगठन नामत: आर पी एफ/पीएलए, यूएनएलएफ, पीआरईपीएके, केवाईकेएल, केसीपी, कोरकॉम तथा एएसयूके लगातार अपनी विध्वंसकारी गतिविधियों में लगे हुए हैं, जिसका

राज्य की कानून और व्यवस्था की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और यह राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर रहा है।

25. पी डब्ल्यू-5 ने आगे यह बयान दिया कि मैतेई उग्रवादी संगठनों का मुख्य उद्देश्य मणिपुर को भारत संघ से अलग करना और एक स्वतंत्र संप्रभु देश का निर्माण करना है। दूसरे शब्दों में, मणिपुर राज्य को भारत के आधिपत्य से अलग करना इन संगठनों का उद्देश्य है। इन संगठनों की ऑपरेशनल गतिविधियों का संक्षिप्त संदर्भ देते हुए, जैसा कि उनके शपथ पत्र के पैराग्राफ 3 में दिया गया है, पी डब्ल्यू-5 द्वारा यह बयान दिया गया है कि ये संगठन स्वयं को मणिपुर राज्य अथवा भारत संघ का हिस्सा नहीं मानते हैं। इन संगठनों की मुख्य गतिविधियों में सुरक्षा बलों पर जानलेवा हमला करना, घात लगाना इत्यादि और हथियार और गोलाबारूद छीनना, बम धमाके करना, सुरक्षा बलों, सरकार तथा आम जनता की जानमाल को क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से हमला करना, संगठन और इसके काडरों के भरण-पोषण के लिए नियमित आय का स्रोत सुनिश्चित करना और स्थानीय जनता की सहानुभूति और समर्थन प्राप्त करना शामिल हैं। आगे यह बयान भी दिया गया है कि नियमित आय का स्रोत सुनिश्चित करने के लिए, वे सरकारी कर्मचारियों, व्यापारियों और आम जनता को डराकर उन्हें अपनी जबरन धन वसूली की मांगों को मानने के लिए मजबूर करने हेतु सभी प्रकार की हिंसक गतिविधियों को अंजाम देते हैं। जबरन धन वसूली निम्नलिखित प्रकार से की जाती है : क) सरकारी और निजी उद्यमों के कर्मचारियों के वेतन से एक निश्चित प्रतिशत पर गैर-कानूनी कर लगाकर; ख) सभी विकासात्मक कार्यों पर विभिन्न चरणों-कार्य के आबंटन; बिलों के भुगतान इत्यादि के समय गैर-कानूनी कर लगाकर; ग) व्यावसायिक स्थापनाओं/उद्यमों जैसे कि होटल, रेस्तरां, चिकित्सा केन्द्र इत्यादि पर गैर-कानूनी मासिक/वार्षिक कर लगाकर; और घ) माल की ढुलाई, यात्रियों इत्यादि पर गैर-कानूनी कर लगाकर वसूली करना। स्थानीय जनता की सहानुभूति और समर्थन प्राप्त करने के लिए वे नैतिक पुलिस व्यवस्था संबंधी कार्य करते हैं; काल्पनिक विगत गौरव का राग अलापते हैं, दोषियों को तत्काल न्याय दिलाने की कार्रवाई करते हैं। उपर्युक्त के अतिरिक्त, वे अपने काडर में भर्ती करने के लिए बेरोजगार युवकों, नशे के व्यसनियों आदि सहित भटके हुए युवाओं को भी निशाना बनाते हैं।

केवाईकेएल और केसीपी के विरुद्ध दर्ज मामलों की वर्ष-वार संख्या

क्रम सं.	अवधि	केवाईकेएल	केसीपी	टिप्पणी
1.	15/10/2015 से 31/12/2015	11	25	
2.	2016	45	102	
3.	2017	45	114	
4.	2018	47	64	
5.	01/01/2019 से 12/02/2019	2	6	
		150	311	

25.1 पीडब्ल्यू-5 ने यह बयान भी दिया है कि दिनांक 23/01/2019 को इसके लोक समिति के संयोजक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में नागरिकता अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2016 पारित करने और क्षेत्र में कथित भारतीय औपनिवेशिक कब्जे तथा सैन्य दमन के विरोध में दिनांक 26/01/2019 को प्रात: 6 बजे से शाम 6 बजे तक डब्ल्यूईएसईए के पूरे क्षेत्र में 12 घंटे के लिए पूर्ण बंद आयोजित करके भारत के 70वें गणतंत्र दिवस समारोह पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई। प्रेस विज्ञप्ति में आम जनता से यह अपील भी की गई कि वे अपने जातीय अस्तित्व को मिटाने के लिए रची गई भारतीय साजिश से बचने की अपनी इच्छाशक्ति को प्रदर्शित करने के लिए इस प्रतिबंध का समर्थन करें।

25.2 अलायंस कार सोसलिस्ट यूनिट, कांग्लीपाक (एएसयूके) के यूजी संगठन, जो केवाईकेएल और केसीपी का एक संयुक्त यूजी समूह है, ने लोक समिति, एएसयूके के संयोजक, एस.मंगल द्वारा दिनांक 12.10.2018 को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में भारत सरकार द्वारा दिनांक 15/10/1949 को मणिपुर राज्य के कथित बलपूर्वक विलय/समामेलन के विरोध में मणिपुर राज्य में दिनांक 15/10/2018 को इस दिन को 'अमम्बा नुमित' (काला दिवस) के रूप में मनाकर प्रात: 6 बजे से शाम 6 बजे तक 12 घंटे का पूर्ण बंद रखने की घोषणा की।

25.3 पीडब्लू-5 ने आगे यह बयान भी दिया है कि दिनांक 04/06/2014 से 31/08/2018 की अवधि के दौरान पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए), द यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ), पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांग्लीपाक (प्रीपाक), कांग्लीपाक कम्युनिस्ट पार्टी (केसीपी), कांग्लेई याओल कान्बा लुप (केवाईकेएल) के विरुद्ध 1124 एफआईआर के मामले दर्ज किए गए थे।

25.4 कि दिनांक 04/06/2014 से 31/08/2018 के बीच उक्त पीएलए/आरपीएफ के सदस्यों के विरुद्ध 203 (दो सौ तीन) एफआईआर दर्ज की गई थीं। मणिपुर सरकार द्वारा अनुरक्षित पीएलए/आरपीएफ के विरुद्ध कानून की धाराओं सहित 203

एफआईआर की सूची इसके साथ प्रदर्श पीडब्ल्यू-5/1 (पृष्ठ सं. 18-22) के रूप में संलग्न है। मणिपुर सरकार द्वारा अनुरक्षित पीएलए/आरपीएफ के विरुद्ध उक्त 203 एफआईआर के संक्षिप्त ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण प्रदर्श पीडब्ल्यू-5/2 के रूप में संलग्न है। दिनांक 04/06/2014 से 31/03/2018 के बीच पीएलए/आरपीएफ द्वारा जारी समाचार पत्र क्लिपिंग और प्रेस नोट प्रदर्श पीडब्ल्यू-5/3 के रूप में संलग्न हैं।

25.5 कि दिनांक 15/06/2014 से 27/03/2018 के बीच उक्त यूएनएलएफ के सदस्यों के विरुद्ध 217 (दो सौ सत्रह) एफआईआर दर्ज की गई थीं। मणिपुर सरकार द्वारा अनुरक्षित यूएनएलएफ के विरुद्ध कानून की धाराओं सहित 217 एफआईआर की सूची प्रदर्श पीडब्ल्यू-5/4 के रूप में संलग्न हैं।

25.6 मणिपुर सरकार द्वारा अनुरक्षित यूएनएलएफ के विरुद्ध उक्त 203 एफआईआर के संक्षिप्त ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण प्रदर्श पीडब्ल्यू-5/5 के रूप में संलग्न है।

25.7 यूएनएलएफ द्वारा दिनांक 04-06-2014 से 31-03-2018 के बीच जारी समाचार पत्र क्लिपिंग और प्रेस नोट प्रदर्श पीडब्ल्यू-5/9 के रूप में संलग्न हैं।

25.8 प्रीपाक द्वारा जारी किए गए दिनांक 15.08.2015 के मौद्रिक मांग संबंधी पत्र की एक प्रति इसके साथ संलग्न है और प्रदर्श पीडब्ल्यू-5/10 के रूप में अंकित की गई है।

25.9 कि दिनांक 06/06/2014 से 27/03/2018 के बीच उक्त केसीपी के सदस्यों के विरुद्ध 270 (दो सौ सत्तर) एफआईआर दर्ज की गई थीं।

25.10 मणिपुर सरकार द्वारा केसीपी के विरुद्ध अनुरक्षित कानून की धाराओं सहित 270 एफआईआर की सूची प्रदर्श पीडब्ल्यू-5/11 के रूप में संलग्न है।

25.11 केसीपी के विरुद्ध, मणिपुर सरकार द्वारा अनुरक्षित, उक्त 270 एफआईआर के संक्षिप्त ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण प्रदर्श पीडब्ल्यू-5/12 के रूप में संलग्न है।

25.12 केपीसी द्वारा दिनांक 04-06-2014 से 31-03-2018 के बीच जारी समाचार पत्र क्लिपिंग और प्रेस नोट इसके साथ प्रदर्श पीडब्ल्यू-5/13 के रूप में संलग्न हैं। केसीपी द्वारा जारी मौद्रिक मांग संबंधी पत्र की प्रतियां संलग्न हैं और प्रदर्श पीडब्ल्यू-5/14 (कॉली) के रूप में अंकित हैं।

25.13 कि दिनांक 15/06/2014 से 27/03/2018 के बीच उक्त केवाईकेएल के सदस्यों के विरुद्ध 193 (एक सौ तिरानबे) एफआईआर दर्ज की गई थीं। मणिपुर सरकार द्वारा अनुरक्षित केवाईकेएल के विरुद्ध कानून की धाराओं सहित 193 एफआईआर की सूची प्रदर्श पीडब्ल्यू-5/15 के रूप में संलग्न है।

25.14 केवाईकेएल के विरुद्ध मणिपुर सरकार द्वारा अनुरक्षित उक्त 193 एफआईआर के संक्षिप्त ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण प्रदर्श पीडब्ल्यू-5/16 के रूप में संलग्न है।

25.15 केवाईकेएल द्वारा दिनांक 04-06-2014 से 31-03-2018 के बीच जारी समाचार पत्र क्लिपिंग और प्रेस नोट प्रदर्श पीडब्ल्यू-5/17 के रूप में संलग्न हैं।

25.16 केवाईकेएल द्वारा दिनांक 15.12.2016 को जारी मौद्रिक मांग संबंधी पत्र की प्रतियां संलग्न हैं और प्रदर्श पीडब्ल्यू-5/18 के रूप में अंकित हैं।

25.17 कि उक्त कोरकॉम के लक्ष्य और उद्देश्य के संबंध में संक्षिप्त नोट इसके साथ प्रदर्श पीडब्ल्यू-5/19 के रूप में संलग्न है। उक्त कोरकॉम के विरुद्ध दिनांक 04.06.2014 से 31.03.2018 के बीच दर्ज एफआईआर की सूची प्रदर्श पीडब्ल्यू-5/20 के रूप में संलग्न है।

25.18 उक्त कोरकॉम के विरुद्ध मणिपुर सरकार द्वारा अनुरक्षित उक्त एफआईआर के संक्षिप्त ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण प्रदर्श पीडब्ल्यू-5/21 के रूप में संलग्न है।

25.19 आईपीसी की धारा 121/121-क, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 20/16(1)(ख), आयुध अधिनियम की धारा 25(1)(क) (1-ख) और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4/5 के अंतर्गत सिटी पुलिस स्टेशन की दिनांक 17.05.2015 की एफआईआर सं.68(5) 2015 की एक प्रमाणित सत्य प्रति प्रदर्श पीडब्ल्यू-5/22 के रूप में संलग्न है। सिटी पुलिस स्टेशन के दिनांक 17.05.2015 की उक्त एफआईआर 68(5) 2015 के शिकायत की प्रमाणित सत्य प्रति

प्रदर्श पीडब्ल्यू-5/23 (पृष्ठ सं. 246-247) के रूप में संलग्न है। सिटी पुलिस स्टेशन के उक्त एफआईआर के जब्ती मेमो की प्रमाणित सत्य प्रतियां प्रदर्श पीडब्ल्यू-5/24 (कॉली) के रूप में संलग्न हैं।

25.20 विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 16/20, आयुध अधिनियम की धारा 25(1-ख) के अंतर्गत दिनांक 19.09.2015 की आईपीएस की एफआईआर संख्या 386(9) 2015 की प्रमाणित सत्य प्रति इसके साथ प्रदर्श पीडब्ल्यू-5/25 के रूप में संलग्न है। आईपीएस की दिनांक 19-09-2015 की उक्त एफआईआर 386(9) 2015 के शिकायत की प्रमाणित सत्य प्रति प्रदर्श पीडब्ल्यू-5/26 के रूप में संलग्न है। आईपीएस के उक्त एफआईआर 386(9)2015 के जब्ती मेमो की प्रमाणित सत्य प्रतियां प्रदर्श पीडब्ल्यू-5/27 के रूप में संलग्न हैं।

25.21 आईपीसी की धारा 120-ख/302/427, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 6/20, आयुध अधिनियम की धारा 25(1-ग) के अंतर्गत एमसीएम पुलिस स्टेशन की दिनांक 22.05.2016 की एफआईआर सं. 2(5)2016 की प्रमाणित सत्य प्रतियां प्रदर्श पीडब्ल्यू-5/28 के रूप में संलग्न हैं।

25.22 दिनांक 04.06.2014 से 31.03.2018 के बीच उक्त कोरकॉम द्वारा जारी की गई अखबारों की क्लिपिंग और प्रेस नोट को प्रदर्श-पीडब्ल्यू-5/29 (कॉली) के रूप में संलग्न किया गया है।

25.23 कि राज्य आसूचना विभाग अर्थात् पुलिस अधीक्षक (सीआईडी) (एसबी) का कार्यालय, मणिपुर द्वारा उक्त एएसयूके (एलायंस ऑफ सोशल यूनिटी कांग्लीपाक) के विधिविरुद्ध क्रियाकलापों से संबंधित शासकीय पत्राचार और इसके अनुलग्नक इसके साथ प्रदर्श-पीडब्ल्यू-5/30 (कॉली) के रूप में संलग्न हैं।

उप सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार का साक्ष्य

26. पीडब्ल्यू-6 [अर्थात् श्री आर.के. पांडेय, उप सचिव (गृह), भारत सरकार] ने साक्ष्य के रूप में अपना दिनांक 5 मार्च, 2019 का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है, जिसे प्रदर्श पीडब्ल्यू-6/1 के रूप में प्रदर्शित किया गया है, जिस पर उक्त शपथ-पत्र के पृष्ठ 7 के बिन्दु संख्या "ए" और "बी" पर उनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। श्री आर.के. पांडेय, पीडब्ल्यू-6 ने बयान दिया है कि मणिपुर घाटी में आतंकी क्रियाकलाप मुख्यत: मैतेई उग्रवादी संगठनों द्वारा किए जाते हैं जिनमें पीपल्स लिब्रेशन फ्रंट (यूएनएलएफ) और इसका सशस्त्र विंग मणिपुर पीपल्स आर्मी (पीएएम), पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांग्लीपाक (पीआरईपीएके) और इसका सशस्त्र विंग - रेड आर्मी, कांग्लीपाक कम्युनिस्ट पार्टी (केसीपी) और इसका सशस्त्र विंग – जिसे रेड आर्मी भी कहा जाता है, कांग्ली याओल कनबा लुप (केवाईकेएल), को-आर्डिनेशन कमेटी (कोरकॉम) और एलायंस फॉर सोशलिस्ट यूनिटी कांग्लीपाक (एएसयूके) आदि शामिल हैं। मणिपुर की विद्यमान सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर, इम्फाल नगरपालिका क्षेत्र को छोड़कर पूरे राज्य को समय-समय पर सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया गया है, और यह 30 नवंबर, 2019 तक वैध है।

26.1 पीडब्ल्यू-6 ने आगे यह भी बयान दिया है कि मैतेई उग्रवादी संगठनों का मुख्य उद्देश्य भारत से अलग होना और सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से मणिपुर राज्य की "खोई हुई संप्रभुता" को पुन: प्राप्त करना है और इस उद्देश्य के लिए वे विधिविरुद्ध क्रियाकलापों में संलिप्त होते रहे हैं। ये गुट गैर-मणिपुरी निवासियों के विरुद्ध आक्रामक अभियान चलाने में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं और बार-बार उन्हें राज्य छोड़ने का निदेश देते रहते हैं। ये गुट शस्त्र प्राप्त करने और अपने कॉडरों के प्रशिक्षण में सहायता प्राप्त करना सुनिश्चित करने की दृष्टि से नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (खापलांग) {एनएससीएन (के)}, मणिपुर नागा पीपल्स फ्रंट (एमएनपीएफ), मणिपुर नागा रिवोल्यूशनरी फ्रंट (एमएनआरएफ), जेलियांगरोंग यूनाइटेड फ्रंट (कामसोन ग्रुप), यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम (स्वतंत्र) (उल्फा (I), हन्नीवट्रेप नेशनल लिब्रेशन काउंसिल (एचएनएलसी), नेशनल लिब्रेशन फ्रंट ऑफ त्विप्रा (एनएलएफटी), पीपल्स डेमोक्रेटिक काउंसिल ऑफ कर्बीलोंगरी (पीडीसीके), गारो नेशनल लिब्रेशन आर्मी (जीएनएलए) और माओइस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मणिपुर (एमसीपीएम) के साथ भी संपर्क रखते रहे हैं, ताकि ये अपने अलगाववादी लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें।

26.2 मणिपुर राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति नाजुक है और यह चिंता का कारण बनी हुई है। इन मैतेई उग्रवादी संगठनों के गुटों द्वारा प्रचारित एवं अंजाम दी गई हिंसा की घटनाओं, उनकी गतिविधियों, अन्य उग्रवादी संगठनों और विदेशी सेना के पदाधिकारियों के साथ उनके संबंधों और घनिष्ठ सम्पर्क के ब्यौरों का उल्लेख दिनांक 05 मार्च, 2019 के शपथ-पत्र के पैरा 6, 7, 9, 10 में किया गया है। उक्त मैतेई उग्रवादी संगठनों के गुटों के उद्देश्यों/लक्ष्यों और हिंसक गतिविधियों के संबंध में एक संक्षिप्त विवरण शपथ-पत्र के साथ संलग्न किया गया है। पी डब्ल्यू-6 ने इसकी सत्यता की भी पुष्टि की और तदनुसार इसे प्रदर्श पी डब्ल्यू-6/2 के रूप में प्रदर्शित किया गया है।

26.3 उक्त मैतेई उग्रवादी संगठनों द्वारा इस अवधि के दौरान की गई हिंसा की बड़ी घटनाओं तथा किए गए बड़े अपराधों का ब्यौरा और दिनांक 01.01.2017 से 15.02.2018 की अवधि के दौरान उनके विरुद्ध पंजीकृत मामलों की सूची फाइल कर दी गई है और पी डब्ल्यू-6 ने बयान दिया है कि उनमें दिए गए विवरण सत्य और सही हैं। घाटी आधारित यू जी समूहों द्वारा वर्ष 2017, 2018 और चालू वर्ष (15 फरवरी तक) के दौरान की गई बड़ी हिंसक घटनाओं का ब्यौरा प्रदर्श पी डब्ल्यू-6/3 के रूप में प्रदर्शित किया गया है। मैतेई उग्रवादी संगठनों द्वारा दिनांक 01.01.2017 से 15.02.2018 तक की अवधि के दौरान की गई विध्वंसात्मक गतिविधियों का ब्यौरा प्रदर्श पी डब्ल्यू-6/4 के रूप में प्रदर्शित किया गया है। दिनांक 04.06.2014 से दिनांक 31.03.2018 तक दायर किए गए आरोप-पत्रों की संख्या और जिन कार्यकर्ताओं पर मुकदमा चलाया गया है, उनकी संख्या को दर्शाने वाला विवरण प्रदर्श पी डब्ल्यू-6/5 के रूप में प्रदर्शित किया गया है। दिनांक 04.06.2014 से 31.03.2018 तक की अवधि के दौरान मैतेई उग्रवादी संगठनों के विरुद्ध दर्ज मामलों की सूची को दर्शाने वाला विवरण प्रदर्श पी डब्ल्यू-6/6 के रूप में प्रदर्शित किया गया है। दिनांक 04.06.2014 से 31.03.2018 तक मैतेई उग्रवादी संगठनों के विरुद्ध दर्ज छोटे मामलों को दर्शाने वाला विवरण प्रदर्श पी डब्ल्यू-6/7 के रूप में प्रदर्शित किया गया है।

26.4 गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 13 नवम्बर, 2018 की राजपत्र अधिसूचना, जिसके तहत अधिसूचना की तारीख से उक्त मैतेई उग्रवादी संगठनों को विधिविरुद्ध संगम घोषित किया गया है, दिनांक 05 मार्च, 2019 के शपथ-पत्र के साथ हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में फाइल की गई है और यह उक्त शपथ-पत्र के पृष्ठ संख्या 143 से 146 पर उपलब्ध है। उक्त अधिसूचना प्रदर्श पी डब्ल्यू6/8 के रूप में प्रदर्शित की गई है। मैतेई उग्रवादी संगठनों और इनके गुटों को विधिविरुद्ध संगम घोषित करने के आधार और कारणों का उल्लेख 05 मार्च, 2019 के शपथ-पत्र के पैरा 15 में किया गया है। मैं यहां यह नोटिस करता हूं कि न तो मणिपुर सरकार और भारत संघ द्वारा या उनकी तरफ से दिए गए साक्ष्य का कोई खण्डन किया गया है और न ही रिकार्ड में ऐसा कुछ है, जिससे उसका खंडन किया जा सके। कार्यवाहियों में कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है। इस प्रकार, भारत संघ और मणिपुर सरकार द्वारा और उनकी तरफ से पूछताछ किए गए विभिन्न गवाहों द्वारा दिए गए बयानों के रूप में प्रस्तुत किए गए दस्तावेजी साक्ष्य और शपथ-पत्र (पत्रों) के रूप में साक्ष्य के खण्डन के अभाव में, इस पर अविश्वास करने अथवा इसे नजरअंदाज करने का कोई कारण नहीं है।

27. भारत संघ और मणिपुर सरकार द्वारा और उनकी ओर से दिए गए साक्ष्य पर विचार करते हुए तथा उक्त अधिनियम की धारा 2 (ण) और 2 (त) में यथा-उल्लिखित "विधिविरुद्ध क्रियाकलाप" और "विधिविरुद्ध संगठन" अभिव्यक्तियों की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में, मैतेई उग्रवादी संगठनों द्वारा किए जा रहे क्रियाकलापों को अलगाववादी, आतंकवादी और हिंसक गतिविधियां होने के साथ-साथ निश्चित रूप से विध्वंसकारी प्रकृति का कहा जा सकता है। मैतेई उग्रवादी संगठनों द्वारा किए जा रहे क्रियाकलापों से जन-शांति भंग होने की भी संभावना है और साथ ही इनमें नागरिकों में भय या खतरा या असुरक्षा की भावना उत्पन्न करने की क्षमता है। मणिपुर के मैतेई उग्रवादी संगठनों के गैर-कानूनी और हिंसक क्रियाकलापों से उनके मुख्य उद्देश्य अर्थात भारत संघ से मणिपुर को अलग करने और भारत के आधिपत्य से मणिपुर राज्य को मुक्त करके एक पृथक सम्प्रभु देश बनाने का स्पष्ट रूप से पता चलता है। इस प्रकार, उनके क्रियाकलाप न केवल क्षेत्रीय अखण्डता के लिए, बल्कि भारत की सम्प्रभुता के लिए भी हानिकारक हैं।

28. पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए और रिकार्ड में लाए गए समग्र साक्ष्य और सामग्री के आधार पर, मेरा यह सुविचारित मत है कि मणिपुर के मैतेई उग्रवादी संगठनों, नामत:, 1), सामान्यतया पीएलए के रूप में ज्ञात पीलल्स लिबरेशन आर्मी और इसके राजनैतिक विंग; 2), द रिवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट (आरपीएफ), 3), द यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ) और इसके सशस्त्र विंग, 4), द मणिपुर पीपल्स आर्मी (एमपीए); 5), द पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांग्लीपाक (पीआरईपीएके) और इसके सशस्त्र विं; द "रेड आर्मी; 6), द कांग्लीपाक कम्युनिस्ट पार्टी (केसीपी) और इसके सशस्त्र विंग जिसे 'रेड आर्मी' भी कहते हैं; 7), द कांग्ली याओल कान्बा लुप (केवाईकेएल); 8), को-आर्डिनेशन कमेटी (कोरकॉम); और 9), द अलायंस फॉर सोशलिस्ट यूनिटी कांग्लीपाक (एएसयूके) और इनके सभी गुटों, विंगों और अग्रणी संगठनों को विधिविरुद्ध संगम घोषित करने के पर्याप्त कारण मौजूद थे। इसलिए, केन्द्र सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 3(1) के अंतर्गत दिनांक 13 नवम्बर, 2018 की राजपत्र अधिसूचना संख्या 5681 (अ) में की गई घोषणा की पुष्टि की जाती है।

29. तदनुसार, उक्त संदर्भ में इस मामले का समाधान कर दिया गया है।

(न्यायमूर्ति जी.एस. सिस्तानी)

7 मई, 2019

विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th May, 2019

S.O. 1745(E).—In terms of Section 4(4) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the order of the Tribunal presided over by Hon'ble justice Mr. G.S. Sistani, Judge, Delhi High Court, to whom a reference was made under Section 4(1) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 for adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the Meitei Extremist Organizations of Manipur, viz, the Peoples' Liberation Army (PLA) and its political wing, the Revolutionary Peoples' Front (RPF), the United National Liberation Front (UNLF) and its armed wing, the Manipur People's Army (MPA), the Peoples' Revolutionary Party of Kangleipak (PREPAK) and its armed wing the Red Army, the Kangleipak Communist Party (KCP) and its armed wing also called the "Red Army" the Kanglei Yaol Kanba Lup (KYKL), Co-ordination Committee (CorCom) and Alliance for Socialist Unity Kangleipak (ASUK) along with all their factions, wings and front organizations as "Unlawful Associations" is published for general information:

[No. 11011/06/2018-NE-V]

SATYENDRA GARG, Jt. Secy.

REPORT OF UNLAWFUL ACTIVITIES(PREVENTION) TRIBUNAL PRESIDED OVER BY HON'BLE MR.JUSTICE G.S.SISTANI, JUDGE, DELHI HIGH COURT, NEW DELHI

IN THE MATTER OF :

GAZETTE NOTIFICATION NO. S.O. 5681 (E) DATED 13TH NOVEMBER, 2018, DECLARING THE MEITEI EXTREMIST ORGANISATIONS OF MANIPUR, NAMELY,

1. The Peoples' Liberation Army generally known as PLA, and its political wing;
2. The Revolutionary Peoples' Front (RPF)
3. The United National Liberation Front (UNLF) and its armed wing
4. The Manipur People's Army(MPA);
5. The Peoples' Revolutionary Party of Kangleipak (PREPAK) and its armed wing, the "Red Army";
6. The Kangleipak Communist Party (KCP) and its armed wing, also called the "Red Army";
7. The Kanglei Yaol Kanba Lup (KYKL);
8. Co-ordination Committee (CorCom) - and
9. The Alliance for Socialist Unity Kangleipak (ASUK)

to be "Unlawful Associations" under sub-section (1) of Section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967)

AND

GAZETTE NOTIFICATION NO. S.O 384.(E) DATED 24th JANUARY 2019, CONSTITUTING THE UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) TRIBUNAL.

CORAM :

HON'BLE MR. JUSTICE G.S. SISTANI

PRESENT :

Ms.Maninder Acharya, Additional Solicitor General of India with Mr.Kirtiman Singh and Mr.Gaurang Kanth, CGSCs, Mr.Aman Singh Bakshi and Ms.Kamakshi Sehgal for Union of India.

Mr.L Roshmani, Advocate for the State of Manipur.

Mr. Arun Kumar, Registrar, Unlawful Activities (Prevention) Tribunal along with Mr. Sudhir Sachdeva, Administrative Officer (Judicial) and Mr. Vikas Dhawan, Court Master.

None for the Meitei Extremist Organizations.

ORDER

07.05.2019

1. The Central Government, vide Gazette Notification No. S.O. 5681(E) dated 13th November, 2018, while exercising the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), (for short, 'the said Act'), has declared the Meitei Extremist Organizations of Manipur, namely, 1) The Peoples' Liberation Army generally known as PLA, and its political wing; 2) The Revolutionary Peoples' Front (RPF), 3) The United National Liberation Front (UNLF) and its armed wing, 4) The Manipur People's Army(MPA); 5) The Peoples' Revolutionary Party of Kangleipak (PREPAK) and its armed wing, the "Red Army"; 6) The Kangleipak Communist Party (KCP) and its armed wing also called the "Red Army"; 7) The Kanglei Yaol Kanba Lup (KYKL); 8) Co-ordination Committee (CorCom); and 9) The Alliance for Socialist Unity Kangleipak (ASUK) along with all their factions, wings and front organizations, as 'Unlawful Associations'.

2. It is stated, in the aforesaid Notification, that the Meitei Extremist Organizations have the aim and objective of the formation of an independent Manipur by secession of Manipur State from India and have-

   (i) openly declared their objectives as formation of an independent Manipur by secession of Manipur State from India;

   (ii) been employing and engaging in armed means to achieve the aforesaid objective;

   (iii) been attacking the Security Forces, the Police, Government employees and law-abiding citizens in Manipur;

   (iv) been indulging in acts of intimidation, extortion and looting of civilian population for collection of funds for their Organisation;

   (v) been making contacts with sources abroad for influencing public opinion and for securing their assistance by way of arms and training for the purpose of achieving their secessionist objective; and

   (vi) been maintaining camps in neighboring countries for the purpose of sanctuaries, training and clandestine procurement of arms and ammunitions.

3. It is further stated, in the aforesaid Notification, that the unlawful and violent activities of the Meitei Extremist Organizations include –

   (i) involvement in 756 violent incidents for the last five years from 1st January, 2013 to 31st July, 2018 and;

   (ii) killing of 86 persons (including 35 Security Forces personnel) from 1st January, 2013 to 31st July, 2018.

4. It is also stated that for the aforesaid reasons, the Central Government is of the opinion that the activities of the Meitei Extremist Organizations are detrimental to the sovereignty and integrity of India and that they are unlawful associations. It is further stated that the Central Government is also of the opinion that if the unlawful activities of the Meitei Extremist Organizations are not curbed and controlled immediately, they would take the opportunity of –

   (i) mobilizing their cadres for escalating their secessionist, subversive, terrorist and violent activities;

   (ii) propagating anti-national activities in collusion with forces inimical to sovereignty and integrity of India;

   (iii) indulging in killings of civilians and targeting of the police and security force personnel;

(iv) procuring and inducting illegal arms and ammunitions from across the international border;

(v) extorting and collecting huge funds from public for their unlawful activities.

5. And whereas, the Central Government is also of the opinion that having regard to the activities of the Meitei Extremist Organizations mentioned above, it is necessary to declare the Meitei Extremist Organizations along with all their factions, wings and front organizations as 'Unlawful Associations' with immediate effect and accordingly, while exercising the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of Section 3 of the said Act, the Central Government directed that the said Notification shall, subject to any order that may be made under Section 4 of the said Act, have effect from the date of its publication in the Official Gazette, i.e., 13th November, 2018.

6. Thereafter, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of the said Act, the Central Government constituted this Tribunal vide Gazette Notification No. S.O. 384 (E) dated 24th January, 2019, for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause of declaring the Meitei Extremist Organizations of Manipur along with all their factions, wings and front organizations as 'Unlawful Associations'.

7. Having received the aforesaid reference in terms of Section 4(1) of the said Act by this Tribunal, the matter was fixed for preliminary hearing on 30th January, 2019, when this Tribunal, on consideration of the material placed on record by the Central Government, issued notice under Section 4(2) of the said Act to the Meitei Extremist Organizations of Manipur to show cause within 30 days as to why they be not declared unlawful. The notice was directed to be served in the following manner:

(i) By Speed Post/Registered A/D at the last known addresses of the Meitei Extremist Organizations of Manipur, along with all their factions, wings and front organizations as well as that of their principal office bearers.

(ii) By publication along with a copy of the Gazette Notification dated 13th November, 2018 in two national newspapers (all India edition), one in English and one in Hindi and also in two local newspapers having wide circulation in the States where the activities of the Meitei Extremist Organisations are ordinarily carried on in vernacular language within three weeks from today.

(iii) By affixation of the notice along with a copy of the Gazette Notification dated 13th November, 2018 at the last known addresses of the Meitei Extremist Organizations of Manipur, along with all their factions, wings and front organizations as well as that of their principal office bearers.

(iv) By a proclamation by beating of drums as well as loudspeakers about the contents of the notice and the Notification dated 13th November, 2018 in all the States where the activities of the Organisations were or are believed to be ordinarily carried on.

(v) By displaying the notice along with a copy of the Gazette Notification dated 13th November, 2018 on the notice board of the Deputy Commissioner/District Magistrate/ Tehsildar in all the district headquarters of the States where the activities of the Organisations were or are believed to be ordinarily carried on.

(vi) Notice be also served on the State of Manipur through its Chief Secretary.

(vii) The notice and the gazette Notification dated 13th November, 2018 be also announced in the All India Radio/electronic media of State Edition at the prime time and shall also be pasted at the prominent places in the States where the activities of the MEITEI Extremist Organisations were or are believed to be carried on.

8. Vide Order dated 30th January, 2019, the Tribunal also directed its Registrar to check and ensure the compliance of service of the notice and also to file an independent report in this regard before the next date of hearing, i.e., 5th March, 2019. However, on 5th March 2019, the proceedings of the Tribunal could not take place on account of Full Court Reference to condole the sad demise of Hon'ble Mr. Justice Valmiki J. Mehta and the proceedings were adjourned to 6th March 2019. The affidavits of service were filed on behalf of the Union of India as well as the State of Manipur affirming the steps taken for effecting service of the notice issued

by this Tribunal. The report of the Registrar of this Tribunal dated 27th February, 2019, as regards service of notices, was also filed.

9. On perusing the material placed on record as well as the report of the Registrar of this Tribunal, the Tribunal was satisfied that the notices had been duly served on the Meitei Extremist Organizations of Manipur, their factions, wings and front organizations as well as that of their principal office bearers, as prescribed under Rule 6 of the Unlawful Activities (Prevention) Rules, 1968 (for short, 'the said Rules') and as per the directions of this Tribunal contained in the Order dated 30th January, 2019, as noticed hereinabove.

10. Despite service of the notices, as aforesaid, and opportunities granted by this Tribunal, neither any objections/replies/written statements were filed on behalf of the Meitei Extremist Organizations of Manipur nor anyone appeared on their behalf. Thus, they chose not to participate in the proceedings conducted by this Tribunal and vide order dated 06th March 2019, the inquiry was ordered to be proceeded further, ex parte.

11. However, since this Tribunal was of the view that an inquiry in the matter should be held so as to afford an opportunity not only to the Central and the State Governments to lead their evidence in support of the averments, allegations and grounds made by them, but also to the Meitei Extremist Organizations of Manipur to rebut the material of the Central/State Governments, vide Order dated 6th March, 2019, the matter was fixed, with the consent of learned Additional Solicitor General appearing on behalf of the Union of India and learned counsel appearing for the State of Manipur, for 4th and 5th April, 2019 for further proceedings to be held at Shillong and the matter was kept for directions on 12th March, 2019.

12. During the proceedings of this Tribunal held on 4th April, 2019, at Shillong, evidence of PW-1 (namely, Ms. Anupam, SDPO – Lamphel, Imphal, West District, Manipur); PW-2 (namely, Mr. Binoy Chongtham, SDPO – Moreh, Tengnoupal District, Manipur), and PW-3 (namely Mr. Shankerjit Loitongbam, SDPO – Porompat, Imphal East District, Manipur) was recorded; while on 5th April, 2019, the partial evidence of PW-4 (namely, Mr. Athokpam Romendro. Singh, SDPO – Singjamei, Imphal, West District, Manipur) was recorded.

13. Thereafter, the matter was taken up again on 26th and 27th April 2019 at Gangtok, Sikkim, the date already fixed for recording of the remaining Evidence.

14. On 26th April, 2019 further statement of PW-4, namely Mr. Athokpam Romendro Singh, SDPO, Singjamei, Imphal West District, Manipur; PW-5, namely, Dr.Th.Charanjeet Singh, Deputy Secretary (Home), Government of Manipur, Imphal and PW-6, namely, Mr.R.K. Pandey, Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs, Government of India was recorded and the matter was kept on 27th April, 2019 at Gangtok. Thereafter, the matter was adjourned to 1st May, 2019 for further proceedings at New Delhi.

15. At this stage, I may notice that only the witnesses of the State of Manipur and the Union of India, who had filed their affidavits by way of evidence, were examined on oath and their depositions were recorded on the respective date(s). Furthermore, during their examination-in-chief, all the witnesses admitted their signatures on their respective affidavit(s) and tendered their affidavit(s) along with all the exhibits and marked documents mentioned therein, as part of their respective evidence.

16. Despite opportunities granted, none appeared before this Tribunal for the Meitei Extremist Organizations of Manipur to cross-examine the aforesaid witnesses of the Union of India and the State of Manipur. Accordingly, the witnesses were discharged. In view of the fact that no representation, communication or any other document had been received on behalf of the Meitei Extremist Organizations of Manipur, either by this Tribunal or its Registrar, the evidence was concluded on 27th April, 2019 and the matter was fixed for further proceedings on 01.05.2019 at New Delhi.

17. I have heard Ms. Maninder Acharya, the learned Additional Solicitor General; Mr. Kirtiman Singh and Mr. Gaurang Kanth, Central Government Standing Counsel, on behalf of the Union of India and Mr. L. Roshmani Kh., the learned Counsel appearing on behalf of the State of Manipur. Having regard to the prevailing situation in the State of Manipur and placing reliance on the material on record and affidavits by way of evidence, it was prayed that the Notification No. S.O. 5681(E) dated 13th November, 2018 issued by the

Central Government, under Section 3(1) of the said Act, thereby declaring the Meitei Extremist Organizations of Manipur as unlawful associations, be confirmed.

18. I have also gone through the material placed on record, the evidence adduced by and on behalf of the State of Manipur as well as the Union of India. I have also perused the reports, received from various Intelligence Agencies and Central Forces regarding the continuing unlawful activities of the Meitei Extremist Organizations of Manipur and their factions, wings and front organizations during the relevant period, which had been handed over by the Union of India in a separate sealed cover to this Tribunal. After perusal of the documents in the sealed cover, the same were returned to Mr. R. K. Pandey, Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs, Government of India.

FOR THE STATE OF MANIPUR

S.No.	Name of Witness	Details of affidavit
1.	Ms. Anupam, Sub Divisional Police Officer, Lamphel, Imphal West District, Manipur (PW-1)	(i) Ex. PW-1/1 dated 04/04/2019
2.	Mr. Binoy Chongtham, SDPO, Moreh, Tengnoupal District, Manipur (PW-2)	(ii) Ex. PW-2/1 dated 04/04/2019
3.	Mr. Shankerjit Loitongbam, SDPO, Porompat, Imphal East District, Manipur(PW-3).	(iii) Ex PW-3/1 dated 04/04/2019
4.	Mr. Athokpam Romendro Singh, SDPO, Singjamei, Imphal West District, Manipur (PW-4)	(iv) Ex PW-4/1 dated 05/04/2019 (Exhibited at Shillong) (v) Ex. PW-4/1A dated 26.04.2019 (Exhibited at Gangtok)

19. PW-1 (namely, Ms. Anupam, SDPO – Lamphel, Imphal West District, Manipur) exhibited 3 FIRs being PW-1/2, PW-1/11 and PW-1/16.

1) In the First FIR No. 98(5) 2016 dated 27th May 2016, it was stated that on 26th May, 2016 at about 09/30 p.m., they received an input from a reliable source shared by 45 AR about the presence of an active member of PREPAK(Pro) organization in a house at Khurai Lairikyengbam Makha Leikai area who was going to commit pre-judicial activities like hurling of bombs and planting IEDs at private business centres, shops etc. Acting on the information, a surprise raid was conducted at the house of Naoroibam Joyshankar Singh of Lairikyengbam Makha. During the search of the house of Naoroibam Joyshankar Singh S/o N. (O) Shanta Devi Lairikyengbam Makha Leikai and its premises, search team found one IED pipe bomb which was kept concealed in a pile of fire wood at the south eastern side of the house. On further search, eight black colour batteries, one white colour battery, five EW marked batteries, one Panasonic battery, two steel ball bearing packets, one white colour remote control, one black colour battery case, one circuit board, three meters long black and red colour wire from the room of Joyshanker were found. On questioning of N. Shanta Devi the mother of Joyshankar she disclosed that the above recovered explosive items were brought and assembled by her son, Joyshanker and now he had gone to meet one of his associate at the house of Wahengbam Ramananda Singh at Kontha Ahallup Makha Leikai. Based on the instance of Joyshankar's mother a combine team of CDO Imphal West comprising of Inspt P. Sanjoy Singh OC-CDO I/W led by Sachidananda Soibam MPS, Dy. SP of CDO-IW and 45 AR Ex-Chingmeiron COB led by Capt. G. Satish Kumar, under the supervision of Th. Vikramjit Singh MPS, Addl. SP(Ops.) Imphal West immediately rushed to Kontha Ahallup Makha Leikai after informing Oscar 80- Imphal East Police Control Room and raided the house of Wahengbam Ramananda Singh at around 3:30 am. During the raid two unknown youths were detained in the house due to their suspicious nature who identified themselves as Naoroibam Joyshankar Singh and Wahengbam Ramananda Singh. On questioning, Joyshanker disclosed that he is a trained cadre of PREPAK(PRO) organization. He joined the organization in the year 2009 and got an army no. 39914

and now working under the command of one s/s Chairman Paliba of PREPAK(PRO) organization. Thus, on the basis of the complaint/report dated 26th May 2016 made by 45 AR, FIR No. 98(5)2016 PRT-PS under Sections 20/38 UA(P) Act, 25(1-C) A. Act, 5 Expl. Sub. Act was registered by SI Lakundro Khaidun on the same day itself. The affidavit affirmed by PW-1, the Investigating Officer of the case in question, has been exhibited as Ex.PW-1/1 and copies of the said FIR, Report and 7 seizure memos relating to the said case, as submitted along with the said affidavit to this Tribunal, have been exhibited as Ex.PW-1/2, Ex. PW-1/3 and Ex.PW-1/4 to Ex.PW-1/10 respectively.

2) In the Second FIR No. 169(9)2018 dated 22/9/2018 registered U/s 17/20 UA(P) Act (Ex. PW-1/11), it was stated that on 22.09.2018 at about 10:30 am, they received a specific information about the presence of some active worker of RPF/PLA organization who were loitering in and around the general area of Kwakeithel area with a view to commit prejudicial activities. Acting on information teams of CDO Imphal West rushed to the said area and conducted cordon and search operation at Kwakeithel Thiyam Leikai. During the operation at the house of (L) Narengbam Jugeshwor Singh, one unknown person was found in very suspicious manner inside the house. On spot body search, two mobile handsets were recovered from his possession.

On spot verification, he identified himself as Narengbam Ratankumar Singh @ Rataqn @ Priyo and on questioning, he revealed that he is an active worker of RPF/PLA organization and working under the command of one s/s Finance Chief Nongpoknganba. Further he disclosed that he joined the said organization in the year 2012 and he admitted that under the instruction of his commander s/s Finance Chief Nongpoknganba he had collected a huge amount of money from the Govt. and general public. He further disclosed that he frequently goes to Moreh to hand over the collected money to his commander and also to get further instructions. Hence, he was arrested on the spot at 11:45am by observing formalities.

At the instance of the arrestee one 'Vespa', pink in colour bearing regd. No. MN01U-2341 which was used in collection of money for their organization was also seized from his residence. Thus, on the basis of the complaint/report dated 22nd September 2018, FIR No. 169(9)2018 U/s 17/20 UA(P) Act was registered by Inspector Chandrakumar Singh on the same day itself. The affidavit affirmed by PW-1, the Investigating Officer of the case in question, has been exhibited as Ex.PW-1/1 and copies of the said FIR, Report, 1 seizure memo and 2 re-seizure memos relating to the said case, as submitted along with the said affidavit to this Tribunal, have been exhibited as Ex.PW-1/11, Ex.PW-1/12, Ex. PW-1/13 and Ex.PW-1/14-Ex. PW-1/15 respectively.

3) In the Third FIR No. 431(11) 2015 registered U/s 17/20 UA(P) Act and 25(1-C) of Arms Act dated 26th November 2015, it was stated that on 26th November 2015 at about 8:45 a.m., they received a reliable information from 40 AR corroborated with their own intelligence about the presence of some active members of the valley based outfit KCP(MC) in and around Takyel Khongbal Moirangthong, a team of CDO/IE led by SI M. Uttam Singh assisted by JC No. 752 Jem. N. Bobo Singh of 1st MR attached with CDO/IE rushed to the said area and launched a search operation. As a part of the operation, mobile frisking and checking was conducted at the southern side of Moirangthong, Takyel Khongbal. In that a suspected person was detained for immediate body search and verification. On searching the detainee's body one 9mm pistol with magazine loaded with two live rounds, one mobile phone along with one Airtel SIM card and three nos. of demand letter of KCP(MC) duly signed by one s/s Finance Secy. Of KCP(MC) namely Yaikhomba Angom were found and recovered. On spot verification, the detainee identified himself as Wahengbam Somendro Singh @ Bobby, an active member of the outfit Kangleipak Communist Party (Military Council) KCP (MC) in short who joined through one Aken of Takhel in the year 2013. He further stated that he was working under the command of the said Aken and extorted a huge amount of money from the general public. He was arrested from the spot i.e. Southern side of Moirangthong and one 9mm pistol marked as 'U.S.A.' with magazine loaded with two live rounds, one mobile phone (Nokia-100) along with one Airtel SIM card and three nos. of demand letters of KCP(MC) were seized from his possession.

Thus, on the basis of the complaint/report dated 26nd November 2015, FIR No. 431(11) 2015 under Section 17/20 UA(P) & 25(1-C) Arms Act was registered on the same day. The affidavit affirmed by PW-1, the Investigating Officer of the case in question, has been exhibited as Ex.PW-1/1 and copies of the said FIR, Report and 1 seizure memo relating to the said case, as submitted along with the said affidavit to this Tribunal, have been exhibited as Ex.PW-1/16, Ex.PW-1/17 and Ex.PW-1/18 respectively.

20. PW-2 (namely, Mr. Binoy Chongtham, SDPO – Moreh, Tengnoupal District, Manipur) exhibited 3 FIRs being PW-2/2, PW-2/6 and PW-2/10.

1) In the First FIR No. 1(1) 2015 registered U/s 121/121-A/324/326/307/34 IPC, 15/20 UA(P) Act and 25(1-C) Arms Act dated 14th January 2015, it was noted as per reports appearing in local news paper "Imphal Free Press" English edition dated 16.01.2015 that on 14.01.2015 at 11.30 p.m., 20 Assam Rifles located at Machi post, village were ambushed and attacked by suspected PLA militant/terrorist by using sophisticated weapons/arms with intent to killing/injured on security forces and to undermine the lawfully established Government of India/Manipur. As a result, two AR personnel received injuries on their person. So it was considered to register a suo-moto case in the matter for the purpose of investigation. The affidavit affirmed by PW-2, the Investigating Officer of the case in question, has been exhibited as Ex.PW-2/1 and attested copies of the said FIR, Report and 2 seizure memos relating to the said case, as submitted to this Tribunal, have been exhibited as Ex.PW-2/2, EX.PW-2/3 and Ex.PW-2/4-2/5 respectively.

2) In the Second FIR No. 40(5)2018 MRH-PS registered U/s 20 UA (P) Act dated 28/05/2018 at Moreh Police Station, it was stated that by Ksh. Shantikumar Singh that at around 02:50 pm he received a reliable information regarding the movement of a hard core cadre of banned outfit United National Liberation Front (UNLF) Organization in and around Sunrise ground, Ward No. 4 Moreh. Immediately a team of CDO/Moreh conducted frisking and checking in that area. While conducting the frisking and checking their team saw one unknown youth moving around the frisking zone in a suspicious manner. On seeing the team, the unknown youth tried to flee away but he was overpowered for verification. On the spot verification, he identified himself as Haorongbam Ranjit @ Lumba, an active cadre of UNLF holding the rank of s/s Captain of the banned outfit United National Liberation (UNLF) Organization. Further, he stated that he joined the banned outfit in the year March 1996 through one s/s Major Chaoba (CS) and got one and half months basic training at Eastern Nagaland and was allotted army No. 561 of 12th batch. He further stated that after the training he was in Eastern Nagaland for 2 (two) years. Between 1998 and 2000 he was in Kumbi in the intelligence wing of the organization aiding the Sajit Tampak Battallion of UNLF. Between 2001 and 2005 he was in the Sajik Tampak Camp of UNLF. Between 2006 and 2007 he was operating in Boro Bekra area of Barak Valley. From there he again moved back to Sajik Tampak and stayed there till 2004. Towards the end of 2014 he moved to 41th Battalion at Ongia in Myanmar. In 2017 he also acted as CO of Naga Revolutionary Front (NRF). He was presently based in GHQ of UNLF at Thongren. Hence, he was arrested at the spot at around 03:30 pm by observing formalities. From his possession one mobile hand set marked as "MPT" white in colour and two SIM Cards of Vodafone and MPT was seized. The affidavit affirmed by PW-2, the Investigating Officer of the case in question, has been exhibited as Ex.PW-2/1 and attested copies of the said FIR, report, seizure memo and reseizure memo relating to the said case, as submitted to this Tribunal, have been exhibited as Ex.PW- 2/6, Ex. PW-2/7, Ex. PW-2/8 and Ex.2/9 respectively.

3) In the third FIR No..79(12) 2018 MRH-PS registered u/s 20 UA(P) Act dated 02/12/2018, it was stated by Inspector N Jatishwar Singh that at around 9:30 am, he received a reliable information input regarding the movement of some hard core cadre of banned outfit KYKL in and around Nongpok panthoibi temple, Moreh. Immediately a team CDO/Moreh conducted frisking and checking at that area. While conducting the frisking and checking their team saw an unknown youth moving around the frisking zone in a suspicious manner. On seeing the team, unknown youth tried to flee away but they managed to overpower him for verification. On the spot verification, he identified himself as Longjam

Kala @ Soman. His rank was Sergeant Major with Army No. 33. He joined the organization in June, 2002 and received Basic Training at Khoupum camp of KYKL at Noney district for around 3 months. After the completion of training he was deployed in Chandel. From Chandel he moved to Tanan camp battalion of KYKL at Myanmar where he stayed for two years. Then for the next seven years he was deployed at Eastern Nagaland. He revealed that he joined the organization through one overground worker of the organization namely(L) Thangjam Inao of Moreh Ward No. 7. Hence he was arrested at the spot at around 10.30 am by observing formalities. The affidavit affirmed by PW-2, the Investigating Officer of the case in question, has been exhibited as Ex.PW-2/1 and attested copies of the said FIR and Report as submitted to this Tribunal, have been exhibited as Ex.PW- 2/10 and Ex.PW-2/11 respectively.

21. PW-3 (namely, Mr. Shankerjit Loitongbam, SDPO – Porompat, Imphal East District, Manipur) exhibited 3 FIRs being PW-3/2, PW-3/8 and PW-3/14.

1) In the First FIR No. 40(2) 016 PRT-PS registered U/s 20 UA(P) Act and 25(1-B) A. Act and 5 Expl. Sub. Act dated 22nd February 2016, it was stated that at about 12:20 pm, a reliable information was received about the presence of one active cadre of the proscribed United National Liberation Front (UNLF in short) organization at Hatta Minuthong area to commit pre-judicial activities like extortion of money from the general public. Accordingly, a team rushed to the said area to launch a search operation. During the search operation, one suspected person was detained at Hatta Minuthong for verification. On spot verification of his identity the detainee identified himself as Thokchom Brendy Meetei @ Leiren @Athouba. On verification, he stated that he is an active cadre of UNLF outfit; he joined the outfit in January 2007 through one S/s Lieutenant Mr. Apabi of UNLF and he underwent basic military training at Mewtit, Myanmar in the same year from February to April 2007 under Army No. 2330 of 33rd batch of the UNLF outfit. He further stated that he was working for the said UNLF outfit under the command of one S/S Director, Finance Department of UNLF Mr. Munal. So, he was arrested from the spot i.e. eastern side Minuthong at 1:30 p.m. and 2 mobile phones: one SAMSUNG Duos with one SIM card each of Airtel and Vodafone and another LEMON GC 359 with one SIM card each of Reliance and Airtel were seized. On questioning, the arrestee stated that he has kept concealed one small arm, ammunition and 6 hand granades at a carpentry house at Langthabal Kunja. The carpentry house was searched and one black polythene containing (i) 1 (one). 38 pistol with one magazine loaded with 8 live rounds, (ii) 1 (one) magazine loaded with 7 live rounds, (iii) 4 (four) Chinese hand grenades, which were contained inside 4 tin fish boxes, (iv) 2(two) 36 HE hand grenades, and (v) 10 (ten) detonators, which were contained inside a white polythene were recovered above the ceiling of the carpentry house. The recovered items along with one mobile phone were seized from his possession. The affidavit affirmed by PW-3, the Investigating Officer of the case in question, has been exhibited as Ex.PW-3/1 and attested copies of the said FIR, Report, 2 seizure memos and 2 re-seizure memos relating to the said case, as submitted to this Tribunal, have been exhibited as Ex.PW- 3/2, Ex. PW-3/3, Ex.PW-3/4-Ex.PW-3/5 and Ex.PW-3/6-3/7 respectively.

2) In the Second FIR No. 9(02) 2018 IBG-PS U/S 17/20 UA(P) Act, 25(1-C) A. Act & 5, Expl. Subs. Act dated 7th February 2018 it was stated that at about 4.30 p.m., a reliable information was received from secret source regarding the presence of some active members of valley based outfit in and around Langdum Makha Leikai. Acting on said credible information, a team of CDO/IE rushed to the said area and launched a search operation. In that, a suspected person was detained for verification in front of Langdum High School. On spot verification, the detainee identified himself as Nandeibam Saratjoy Singh @ Sanjoy, an active member of the outfit Kangleipak Communist Party (Peoples' War Group) who joined through one active member of the said outfit namely Mr. Wahengbam John @ Thoi in the year 2015, and was working under his command. Thus, he was arrested from the spot i.e. Langdum Makha Leikai along with one mobile phone (Samsung) along with one Airtel SIM card. On further interrogation, the arrestee revealed that he had kept concealed one pistol at his residence and one bomb at Awang Khunou, Imphal-West District. On the disclosure and pointing of the arrestee, a 9mm pistol along with magazine loaded with 2 rounds was recovered from his residence. Thereafter, the arrestee

was taken to Awang Khunou and on the pointing of the arrestee there, a black polythene bag containing one IED weighing about 5 kilogram, wire about 1 metre in length and one modified mobile phone which could be used as trigger and one detonator which was kept concealed beneath the soil was found from the back yard of Chain of Freedom Foundation Rehabilitation Centre, Awang Khunou, Imphal West District. The above said items were seized. The arrestee further revealed that the above recovered items were handed over to him by Mr. John @ Thoi through one unknown person on 04.02.2018 and he was instructed to plant the recovered IED at Little Flower School as soon as possible. He further stated that recently he had collected a sum of Rs. 24,000/- which was extorted from KM Blooming School, Khangabok from Canchipur in front of Standard Robart English School on the instruction of said Mr. John @ Thoi. The affidavit affirmed by PW-3, the Investigating Officer of the case in question, has been exhibited as Ex.PW-3/1 and attested copies of the said FIR, Report, 3 seizure memos and 1 re-seizure memo relating to the said case, as submitted to this Tribunal, have been exhibited as Ex.PW- 3/8, Ex.PW-3/9, Ex.PW-3/10, Ex.PW-3/11, Ex.PW-3/12 and Ex.PW-3/13 respectively.

3) In the Third FIR No. 57(11)2018 IBG-PS U/S 20 UA (P) Act & 5 Expl. Subs. Act. dated 14th November 2018, it was stated that at about 06:45 p.m., a reliable information from was received from their source that some active member of PREPAK (PRO) were loitering in and around Keirao Awang Leikai area for their pre-judicial activities like planting of IED/Bomb and attacking on security forces at any opportune time. A team of CDO/IE unit was organized and rushed to the area. After reaching the said area it was cordoned and one suspected house was searched. During the search operation, a suspected individual was detained at the residence of one Ningthoujam Deban Singh of Keirao Awang Leikai. On spot verification, he identified himself as Ningthoujam Yamba Singh @ Sanayamba and on spot body search, one mobile phone (Samsung) along with Airtel SIM card, another mobile phone (Samsung) along with another Airtel SIM card, one Identity Card bearing no. E060787 of Indian Army was recovered from his possession. On examination he disclosed that he is in the Indian Army at ASC (AT) Paharpur, Gaya, Bihar and he was arrested twice before, once in 2017 and again recently about two months back in connection with crime against women. While in jail he met one Mangdengbam Shamu Singh, who was a cadre of PREPAK (PRO). After his arrest and release from jail, Yamba Singh went to the house of Shamu and he requested Shamu to make arrangement for Yamba's joining underground organization. Thereafter, both went to Tamu in Myanmar and met Irei of PREPAK (PRO). While Shamu left for Imphal, Yamba stayed back and learnt preparation of IED from PREPAK (PRO) cadres under Irei. He came back with one IED on 11th November, 2018 and assembled at the house of Shamu by himself and Shamu on 12th November 2018 and kept at the house of Shamu. Further, he also stated that from he communicated from his mobile with one s/s 2nd Lieutenant Irei of PREPAK (PRO) who instructed him to plant the said IED at Pheidinga area to attack the security forces. Hence, he was arrested at the spot at 9:20 p.m, and seized the above recovered items at 9.30 p.m. At his instance, the police team proceeded to Shamu's house and arrested him along with one mobile handset along with two SIM cards of Airtel and Vodaphone. On examination of Shamu he revealed that he had kept concealed one assemble IED which was assemble by him and Yamba at the front left corner of his common room. He further disclosed that he was working under one s/s 2nd Lieutenant Irei of PREPAK (PRO). Thereafter, the nearby villagers were evacuated to the safe area and personnel of the team tactically cordoned the area. The bomb disposal squad disassemble the said IED and seized the components of IED including one remote control along with battery, one C-4 TNT weighing about 186 gram, one detonator, one Dulux-1L enamel paint container filled with some iron nail and iron screw and circuit having one battery. The affidavit affirmed by PW-3, the Investigating Officer of the case in question, has been exhibited as Ex.PW-3/1 and attested copies of the said FIR, Report, 3 seizure memos and 1 reseizure relating to the said case, as submitted to this Tribunal, have been exhibited as Ex.PW- 3/14, Ex.PW-3/15, Ex.PW-3/16, Ex.PW-3/17, Ex.PW-3/18, Ex.PW-3/19 and Ex. PW-3/20 respectively.

22. PW-4 (namely, Mr. Athokpam Romendro Singh, SDPO – Singjamei, Imphal West District, Manipur) was examined both in Shillong and Gangtok. He exhibited three FIRs being PW-4/2, PW-4/7 and PW-4/16.

1) In the first FIR bearing No. 38(2) 2018 SJM PS U/S 17/20 UA(P) Act & 25(1-C) Arms Act dated 11/2/2018, it was stated that at about 12:20 pm on receipt of specific information about the presence of some active cadres of KYKL organization in and around Canchipur area with a view to commit prejudicial activities like extortion of money from General Public, businessmen etc. and on acting on the information a combined team of CDO/IW and a column of 6th Assam Rifle rushed to the said area and conducted frisking and checking at Canchipur near Standard Robert School. While doing so, two unknown persons were coming towards frisking zone in a very suspicious manner. Hence on suspicion they were detained for spot verification and identification. On spot body search, two pistol, one mobile phone and two ID cards were recovered from their possession. On spot verification they identified themselves as Pukhrambam Rupa @ Kiran and Khariban Sanjoy @ Naocha @ Bheem. On questioning of Pukhrambam Rupa @ Kiran, he disclosed that he was an active cadre of KYKL organization working under the command of s/s Vice Chairman Ibo of KYKL organization and he joined the said organization in the year 2006 through one Birjit of KYKL recruiter from Moirang. He further disclosed that he got basic military training at Tanal, Myanmar in the year 2006 under Army No. 407 of 24th batch and holding the rank of Corporal of KYKL organization. On questioning of Kharibam Sanjoy @ Naocha @ Bheem, he revealed that he is an active cadre of KYKL organization working under the command of s/s Vice Chairman Ibo of KYKL organization and he joined the said organization in 2007 through one Santa of KYKL and completed basic military training at Tanal, Myanmar in the year 2007 under Army No. 571 of 25th batch and holding the rank of Corporal of KYKL organization. Hence, they were arrested on the spot. The recovered items, one Beretta pistol marked as made in U.S.A along with one magazine marked as made in U.S.A, 4(four) live rounds of 9mm ammunition, one ID card of Myanmar bearing Z506094 and one Lemon mobile handset bearing model no. B159 along with one MPT SIM Card were seized from the possession of Pukhrambam Rupa @ Kiran and one M-20 pistol along with one magazine marked as 5020, 2(two) live rounds of M-20 pistol ammunition and one ID card of Myanmar bearing no. Z064079 were seized at 1.25 p.m. from possession of Kharibam Sanjoy @ Naocha @ Bheem. The affidavit affirmed by PW-4, the Investigating Officer of the case in question, has been exhibited as Ex.PW-4/1 and attested copies of the said FIR, Report, 2 seizure memos and 1 re-seizure memo relating to the said case, as submitted to this Tribunal, have been exhibited as Ex.PW- 4/2, Ex.PW-4/3, Ex.PW-4/4-Ex.PW-4/5, and Ex.PW-4/6 respectively.

2) In the second FIR No. 252(8) 2017 SJM PS, U/S – 307/506/427/ 34-IPC , 20 UA(P) Act, 3 Expl. Sub. Act. dated 13th August 2017, it was stated that at about about 9.40 a.m., one IED exploded near the Electric Transformer located Naorem Leikai in front of Naorem Leikai Lairembi along the road side of NH-2 which was planted by some unknown persons suspected to be members of outlawed organization with an intent to kill the general public as well as Security forces and cause damage to the properties. However no casualty occurred but some parts of wiring wall of Electric Transformer and CI-sheet roof of the waiting shed located near the spot were partly damaged. Hence, suo motu FIR in the matter was registered. The affidavit affirmed by PW-4, the Investigating Officer of the case in question, has been exhibited as Ex.PW-4/1, attested copies of the said FIR, Report, 5 seizure memos and one reseizure memo relating to the said case, as submitted to this Tribunal, have been exhibited as Ex.PW- 4/7, Ex.PW-4/8, Ex.PW-4/9, Ex.PW-4/10, Ex.PW-4/11, Ex.PW-4/12, Ex.PW-4/13 and Ex.PW- 4/14 respectively.

3) In the third FIR No. 341(11) 2017 SJM PS, U/S 302/34-IPC & 25(1-C) Arms Act dated 20/11/2017, it was stated that at 07.35 pm an information was received to the effect that at about 7:00pm, one unknown person suspected to be a non-Manipuri man aged about 49 years was shot dead by some unknown armed persons at the gate one Laishram Denny Meitei. The unknown culprits fled away towards unknown direction after commission of the crime. Hence, a suo motu FIR was registered in the matter. The additional affidavit affirmed by PW-4, the Investigating Officer of the case in question, has been exhibited as Ex.PW-4/1A and attested copies of the said FIR, Report, seizure memo and reseizure memo

relating to the said case, as submitted to this Tribunal, have been exhibited as Ex.PW- 4/15, Ex.PW-4/18, Ex.PW-4/16 and Ex. PW-4/17 respectively.

4) PW-4 was present before the Tribunal at Gangtok on 26.04.2019. He wished to place additional affidavit on record. He submitted that the same may be read in continuation of his earlier affidavit Ex. PW-4/1. The same was taken on record. The additional affidavit was exhibited as Ex. PW-4/1A. His further statement to this effect was also recorded separately. The third FIR No. 341(11) 2017 SJM PS, U/S 302/34-IPC & 25(1-C) Arms Act dated 20/11/2017 in original was produced before the Tribunal on this date.

EVIDENCE OF TH. CHARANJEET SINGH, DEPUTY SECRETARY(HOME), GOVERNMENT OF MANIPUR.

23. An application was moved by the Learned Counsel for the State of Manipur, seeking leave to place on record a better and comprehensive affidavit dated 24th April 2019 by way of evidence on behalf of State of Manipur. The prayer was allowed and leave was granted to place a better and comprehensive affidavit on record. The same was taken on record. The earlier affidavit dated 2nd March 2019 was returned, as prayed.

24. PW-5 [namely Mr. Dr. Th. Charanjeet Singh, Deputy Secretary(Home), Government of Manipur, has tendered, in evidence, his affidavit, Ex. PW-5/1, has deposed that the State of Manipur has been facing problem of insurgency since the 1970s. All the Valley based insurgent groups or the Meitei Extremist Organizations namely RPF/PLA, UNLF, PREPAK, KYKL, KCP, CorCom and ASUK have been continuing their subversive activities adversely affecting the law and order situation in the State and posing serious threat to the internal security of the nation.

25. PW-5 has further deposed that the main objective of the Meitei Extremist Organizations is to secede Manipur from the Union of India and for the formation of an independent Sovereign Country. In other words, the liberation of the State of Manipur from the dominion of India is the objective of these organizations. While giving a brief reference to the operational activities of these Organizations, as set out further in paragraph 3 of his affidavit, it has been deposed by PW-5 that these Organizations do not consider themselves as part of the State of Manipur or the Union of India. The main activities of these groups include attack, ambush etc on Security Forces to cause loss of life and snatching of arms and ammunitions, carry out bomb/blasts, attacks with a view to cause damage to life and property of Security Forces(SFs), Government and General public, ensuring a steady source of income for the sustenance of the organization and its cadres, and securing sympathy and support of the local population. It has further been deposed that for ensuring a steady source of income, they indulge in all kinds of violent activities to terrorize Government employees, businessmen and General Public to make them amenable to their extortion demand. The extortion is carried out in the following manner: a) Levying illegal tax from the salaries of the employees both Government and private enterprises at fixed percentage; b) Levying of illegal taxes on all development work at various stages- at the time of award of the work, payment of bills etc: c) Levying illegal monthly/annual taxes on commercial establishments/enterprises like hotel, restaurant, medical clinics etc: and d) Levying illegal taxes on transport of goods, passengers, etc. For securing sympathy and support of the local population, they indulge in moral policing, harp on imaginary past glories, resort to instant justice to wrong doers. Apart from the above, they also target misguided youths including unemployed youths, drug addicts etc., for recruitment into their cadres.

YEAR WISE NO. OF CASES REGISTERED AGAINST KYKL AND KCP

Sl. No.	Period	KYKL	KCP	Remarks
1.	15/10/2015 to 31/12/2015	11	25	
2.	2016	45	102	
3.	2017	45	114	

4.	2018	47	64	
5.	01/01/2019 to 12/02/2019	2	6	
		150	311	

25.1 PW-5 has further deposed that in a press release issued by its Convenor Publicity Committee on 23/01/2019 announced to ban the India's 70th Republic Day Celebration, 2019 by called a 12 hour total shut donw in the entire region of WESEA w.e.f. 6 am to 6 pm on 26/01/2019 in protest against the passing of Citizenship (Amendment) Bill, 2016 and alleged Indian colonial occupation and military repression in the region. The press release further appealed the general public to support the ban to show their will to survive against Indian machinations geared up to obliterate their ethnic existence.

25.2 The UG organization Alliance for Socialist Unit, Kangleipak (ASUK), a conglomerate UG group of KYKL and KCP in a press release issued by its Convenor, Publicity Committee, ASUK, S. Mangal on 12/10/2018 announced 12 hours Total Shut Down in the State of Manipur from 6 am to 6 pm on 15/10/2018 by observing this day as "Amamba Numit" (Black Day) in protest against the alleged forcible merger/annexation of Manipur State by the Indian Government on 15/10/1949.

25.3 PW-5 has further deposed that during the period 04/06/2014 to 31/08/2018 as many as 1124 FIRs cases were registered against People's Liberation Army (PLA), the United National Liberation Front (UNLF), People's Revolutionary Party of Kangleipak (PREPAK), Kangleipak Communist Party(KCP), Kanglei Yaol Kanna Lup(KYKL). .

25.4 That between 04.06.2014 to 31.08.2018 as many as 203 (two hundred and three) FIRs were registered against the members of the said PLA/RPF. The list of 203 FIRs along with sections of law against PLA/RPF maintained by the Government of Manipur have been annexed herewith as EXHIBIT-PW-5/1 (Page no. 18-22). The statement showing the brief of the said 203 FIRs against PLA/RPF maintained by the Government of Manipur is annexed as EXHIBIT-PW-5/2. The Newspaper clippings and press notes released by PLA/RPF between 04.06.2014 to 31.03.2018 have been annexed as EXHIBIT-PW-5/3.

25.5 That between 15/06/2014 to 27/03/2018 as many as 217 (two hundred and seventeen) FIRs were registered against the members of the said UNLF. The list of 217 FIRs along with the sections of law against UNLF maintained by the Government of Manipur have been annexed as EXHIBIT-PW-5/4.

25.6 The statement showing the brief of the said 203 FIRs against UNLF maintained by the Government of Manipur has been annexed as EXHIBIT-PW-5/5.

25.7 The Newspaper clippings and press notes released by UNLF between 04-06-2014 to 31-03-2018 have been annexed as EXHIBIT-PW-5/9.

25.8 A copy of monetary demand letter issued by PREPAK dated 15.08.2015 has been annexed herewith and marked as EXHIBIT-PW-5/10.

25.9 That, between 06/06/2014 to 27/03/2018 as many as 270(two hundred and seventy) FIRs were registered against the members of the said KCP.

25.10 The list of 270 FIRs along with the sections of law against KCP maintained by the Government of Manipur have been annexed as EXHIBIT-PW-5/11.

25.11 The statement showing the brief of the said 270 FIRs against KCP maintained by the Government of Manipur has been annexed as EXHIBIT-PW-5/12.

25.12 The Newspaper clippings and press notes released by KCP between 04-06-2014 to 31-03-2018 have been annexed herewith as EXHIBIT-PW-5/13..Copies of the monetary demand letter issued by KCP are annexed and marked as EXHIBIT-PW-5/14(COLLY).

25.13 That, between 15/06/2014 to 27/03/2018 as many as 193 (One hundred and ninety three) FIRs were registered against the members of the said KYKL. The list of 193 FIRs along with the sections of the law against KYKL maintained by the Government of Manipur has been annexed as EXHIBIT-PW-5/15.

25.14 The statement showing the brief of the said 193 FIRs against KYKL maintained by the Government of Manipur has been annexed as EXHIBIT-PW-5/16.

25.15 The Newspaper clippings and press notes released by KYKL between 04-06-2014 to 31-03-2018 has been annexed as EXHIBIT-PW-5/17.

25.16 Copies of the monetary demand letter issued by KYKL dated 15.12.2016 have been annexed and marked as EXHIBIT-PW-5/18.

25.17 That, brief note on the aims and objective of the said CorCom is annexed herewith as EXHIBIT-PW-5/19. List of FIR registered against the said CorCom between 04.06.2014 to 31.03.2018 has been annexed as EXHIBIT-PW-5/20.

25.18 The statement showing the brief of the said FIRs against the said CorCom maintained by the Government of Manipur has been annexed as EXHIBIT-PW-5/21.

25.19 A certified to be true copy of the FIR No. 68(5) 2015 of City. P.S. U/S 121/121-A IPC, 20/16(1)(b) UA(P) ACT, 25(1)(a) (1-B) Arms Act & 4/5 Expl. Sus. Act dated 17.05.2015 has been annexed as EXHIBIT-PW-5/22. A Certified to be true copy of the Complaint of the said FIR 68(5) 2015 of City P.S. dated 17.05.2015 has been annexed as EXHIBIT-PW-5/23 (Page no. 246-247). Certified to be true copies of the seizure Memos of the said FIR 69(5) 2015 of City P.S. has been annexed as EXHIBIT-PW-5/24 (Colly).

25.20 A certified to be true copy of the FIR No. 386(9) 2015 of IPS. U/S 16/20 UA(P) ACT, 25(1-B) Arms Act 19-09-2015 is annexed herewith as EXHIBIT-PW-5/25. A Certified to be true copy of the Complaint of the said FIR 386(9) 2015 of IPS dated 19.09.2015 is annexed as EXHIBIT-PW-5/26. A Certified to be true copies of the seizure Memos of the said FIR 386(9) 2015 of IPS has been annexed as EXHIBIT-PW-5/27.

25.21 A Certified to be true copies of the FIR no. 2(5) 2016 of MCM PS U/s 120-B/302/427 IPC 6/20 UA(P) ACT, 25 (1-C) Arms Act dated 22.05.2016 has been annexed as EXHIBIT-PW-5/28.

25.22 The Newspaper clippings and press notes released by the said CorCom between 04-06-2014 to 31-03-2018 has been annexed as EXHIBIT-PW-5/29(Colly).

25.23 That, the official communication relating to the unlawful activities of the said ASUK (Alliance of Social Unity Kangleipak) from the State intelligence department i.e. from the office of the Superintendent of Police (CID)(SB) Manipur along with its annexures are annexed herewith as EXHIBIT-PW-5/30 (Colly).

EVIDENCE OF DEPUTY SECRETARY, MINISTRY OF HOME AFFAIRS, GOVERNMENT OF INDIA

26. PW-6 [namely Mr. R. K. Pandey, Deputy Secretary(Home), Government of India, has tendered, in evidence, his affidavit dated 05th March 2019, which is exhibited as Ex. PW-6/1, which is signed by him at points 'A" and 'B' at page 7 of the said affidavit. Sh. R.K.Pandey, PW-6 has deposed that militant activities are mainly carried out, in the valley are of Manipur, by the Meitei Extremist Organizations which include Peoples' Liberation Front (UNLF) and its armed wing the Manipur Peoples' Army (MPA), People's Revolutionary Party of Kangleipak (PREPAK) and its armed wing- the Red Army, Kangleipak Communist Party (KCP) and its armed wing – also called the Red Army, Kanglei Yaol Kanba Lup (KYKL), Coordination Committee (CorCom) and Alliance for Socialist Unity Kangleipak (ASUK). In view of the prevailing security situation in Manipur, the entire State excluding Imphal Municipal Area has been declared as 'disturbed area' under the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958, from time to time, and is valid upto 30th November 2019.

26.1 PW-6 has further deposed that the main objective of the Meitei Extremist Organizations, is to secede from India and regain the 'lost sovereignty' of Manipur State through armed struggle and towards this end they have been engaging in unlawful activities. These outfits have been actively involved in a strident campaign against non-Manipuri residents and have repeatedly been issuing directives to them, to leave the State. These

outfits have also been maintaining links with the National Socialist Council of Nagaland (Khaplang) {NSCN(K)}, Manipur Naga People's Front (MNPF), Manipur Naga Revolutionary Front (MNRF), Zeliangrong United Front (Kamson Group), United Liberation Front of Asom (Independent) ULFA(I), Hynniewtrep National Liberation Council (HNLC), National Liberation Front of Twipra (NLFT), People's Democratic Council of Karbilongri (PDCK), Garo National Liberation Army (GNLA) and Maoist Communist Party of Manipur (MCPM) with a view to secure their assistance for procurement of arms as also for training of their cadres, so as to achieve their secessionist objectives.

26.2 The law and order situation in the State of Manipur is fragile and remains a cause of concern. The details of incidents of violence propagated and committed by these Meitei Extremist Organizations outfits and their activities, relations and close links with other extremist organizations and foreign army officials, are stated in paras 6,7, 9, 10 of the affidavit dated 05th March, 2019. A brief regarding Aims/Objectives and Violent Activities of the said Meitei Extremist Organizations outfits has been annexed to the affidavit. PW-6 also affirmed the correctness of the same and is accordingly exhibited the same as Ex. PW-6/2.

26.3 The details of major incidents of violence committed by the said Meitei Extremist Organizations outfits during the period major crimes committed by them and the list of cases registered against them, during the period 01.01.2017 to 15.02.2018, have been filed and PW-6 has deposed that the contents therein are true and correct. The details of the major violent incidents perpetrated by Valley based UG groups during 2017, 2018 and current year (till February 15)" have been exhibited as Ex. PW-6/3. Details of subversive activities committed by Meitei Extremist Organizations during the period 01.01.2017 to 15.02.2018 is exhibited as Ex. PW-6/4. A statement showing the number of charge sheets filed and the number of activists prosecuted from 04.06.2014 to 31.03.2018 is exhibited as Ex. PW-6/5. A statement showing list of cases registered against the Meitei Extremist Organisations during the period from 04.06.2014 to 31.03.2018 is exhibited as Ex. PW-6/6. A statement showing brief cases registered against the Meitei Extremist Organizations from 04.06.2014 to 31.03.2018 is exhibited as Ex.PW-6/7.

26.4 The Gazette Notification dated 13th November, 2018 issued by the Ministry of Home Affairs, thereby declaring the said Meitei Extremist Organizations outfits as unlawful associations w..e..f the date of the Notifications, has been filed, both in Hindi and English languages, along with the affidavit dated 05th March, 2019 and the same is at pages 143 to 146 of the said affidavit. The said Notification is exhibited as Ex. PW-6/8. The grounds and reasons for declaring these Meitei Extremist Organizations outfits and their factions as unlawful associations are stated in para 15 of the affidavit dated 05th March, 2019. I may notice here that neither the evidence led by and on behalf of the Government of Manipur and the Union of India has been controverted, nor is there anything on record to contradict the same. None has chosen to appear in the proceedings. Thus, in the absence of rebuttal of evidence adduced by way of the statements made by various witnesses examined by and on behalf of the Union of India and the Government of Manipur, as also the documentary evidence, which has been submitted in support of their respective testimonies and the evidence by way of affidavit(s), there is no reason to either disbelieve or ignore the same.

27. Taking into consideration the evidence led by and on behalf of the Union of India and the Government of Manipur; and keeping in view the definitions of the expressions 'unlawful activity' and 'unlawful association' as contained in Sections 2(o) and 2(p) of the said Act; in my opinion, the activities being carried on by the Meitei Extremist Organizations can safely be termed as subversive in nature, apart from being secessionist, terrorist and violent activities. The activities being carried on by the Meitei Extremist Organizations are also likely to disturb the public tranquillity, apart from being able to cause fear or alarm or a feeling of insecurity amongst citizens. From the illegal and violent activities of the Meitei Extremist Organizations of Manipur, their main objective, i.e., to secede Manipur from the Union of India and to form an independent sovereign country by liberating the State of Manipur from the dominion of India, is clearly discernable. Thus, their activities are detrimental not only to the territorial integrity, but also the sovereignty of India.

28. In view of the aforesaid and on the basis of the entire evidence as also the material placed on record, I am of the considered view that there was sufficient cause for declaring the Meitei Extremist Organizations of

Manipur, namely, 1) The Peoples' Liberation Army generally known as PLA, and its political wing; 2) The Revolutionary Peoples' Front (RPF), 3) The United National Liberation Front (UNLF) and its armed wing, 4) The Manipur People's Army(MPA); 5) The Peoples' Revolutionary Party of Kangleipak (PREPAK) and its armed wing, the "Red Army"; 6) The Kangleipak Communist Party (KCP) and its armed wing also called the "Red Army"; 7) The Kanglei Yaol Kanba Lup (KYKL); 8) Co-ordination Committee (CorCom); and 9) The Alliance for Socialist Unity Kangleipak (ASUK) along with all their factions, wings and front organizations as unlawful associations. Therefore, the declaration made by the Central Government in the Gazette Notification No. 5681(E) dated 13th November, 2018 under Section 3(1) of the said Act, stands confirmed.

29. The reference is, accordingly, answered in the aforesaid terms.

(JUSTICE G.S. SISTANI)

7th May, 2019

UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) TRIBUNAL

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.05.16 19:40:50 +05'30'